झारखण्ड सरकार

# श्री रघुवर दास

## मुख्य (वित्त) मंत्री

## का

# बजट भाषण

राँची, दिनांक 19 फरवरी, 2016

# श्री रघुवर दास

## मुख्य (वित्त) मंत्री

## का

# बजट भाषण

राँची, दिनांक 19 फरवरी, 2016

**माननीय अध्यक्ष महोदय,**

भवदीय अनुमति से अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 का बजट इस प्रतिष्ठित सदन के पटल पर उपस्थापित कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं आपके प्रति, इस प्रबुद्ध सदन के प्रति तथा गौरवशाली झारखण्ड की जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस पुनीत अवसर पर अपने क्रांतिकारी तथा झारखण्ड के अमर वीरों **बिरसा मुण्डा, सिद्धू, कान्हू, चाँद, भैरव, वीर बुद्धू भगत, नीलाम्बर–पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, पाण्डेय गणपत राय, तिलका मांझी, शेख भिखारी** जी के साथ ही झारखण्ड के सभी अमर शहीदों को भी मैं सादर नमन करता हूँ।

2. **अध्यक्ष महोदय,** इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, भारत रत्न बाबासाहब डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर तथा भारतीय जनमानस में **सर्वसमावेशी, सहचरण तथा 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः'** की भावना के कालजयी तथा युगप्रवर्त्तक प्रणेता स्वामी विवेकानन्द जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा उनके प्रेरक आह्वानों के आलोक में अपने को आचरित करने का पुनः संकल्प लेता हूँ।

3. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट की विशेषताओं का उल्लेख करने के पूर्व मैं यह कहना चाहूँगा कि आम तौर पर बजट भाषण में वित्त मंत्री कई घोषणायें करते हैं। विगत बजट भाषण में मैंने भी कई घोषणायें की थीं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य में पहलीबार बजट भाषण की घोषणाओं का कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार के सतत् अनुश्रवण के फलस्वरूप तत्समय की गईं कुल 173 घोषणाओं

में 109 पूर्ण हो चुकीं हैं तथा शेष 64 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। यह राज्य की जनता के प्रति हमारी सरकार के उत्तरदायित्व का द्योतक है।

4. महोदय, हमारी संवेदनशील तथा पारदर्शी सरकार ने झारखण्ड की जनता के सरोकार को सर्वोपरि बनाये रखा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट अभिभाषण में मैंने कहा था कि बजट गठन से पूर्व राज्य के समस्त हितधारकों से उनकी जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में परामर्श तथा सुझाव प्राप्त करूँगा। इसी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट गठन के लिए इस बार सितम्बर, 2015 से ही मेरी यह कोशिश रही है कि **बजट पूर्व बैठकों** के माध्यम से व्यापक विचार–विमर्श किया जाय। इस प्रयास में माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों, माननीय विधायकों से मैंने उनके परामर्श व सुझाव के लिए पत्र के माध्यम से आग्रह किया था। मैंने राज्य के प्रबुद्ध अर्थशास्त्रियों से भी उनके विचार मांगे। **अध्यक्ष महोदय,** आमजन से राज्य के बजट गठन के संदर्भ में उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु एक पोर्टल भी लॉंच किया गया है। इस पोर्टल पर कुल 183 सुझाव प्राप्त हुए हैं। **अध्यक्ष महोदय,** सरकार ने इस अभियान को प्रमण्डल स्तर पर भी चलाया है। राज्य के पाँचों प्रमण्डलों धनबाद, गुमला, चाईबासा, मेदिनीनगर तथा दुमका में **बजट पूर्व संगोष्ठी** का आयोजन किया गया। ये आयोजन बहुत ही उत्साहवर्द्धक एवं पथप्रदर्शक सिद्ध हुए हैं। मैं सभी माननीय मंत्रियों, माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध अर्थशास्त्रियों तथा आमजन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

5. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय मंत्रियों, माननीय सांसदों तथा माननीय विधायकों से प्राप्त परामर्श, प्रबुद्ध अर्थशास्त्रियों से विमर्श, बजट पूर्व संगोष्ठी तथा सरकार

के पोर्टल पर प्राप्त सुझावों के अलावा **योजना बनाओ अभियान** के दरम्यान् आमजन से प्राप्त किये गये सुझाव आँखें खोलते हैं, राह दिखाते हैं और गुरूत्तर दायित्व का वास्तविक भान कराते हैं। **अध्यक्ष महोदय,** जैसा कि आप अवगत हैं मेरी सरकार ने **योजना बनाओ अभियान** के रूप में पूरी सरकार को प्रशासनिक तंत्र के साथ गाँवों और टोलों के चौबारों में पहुँचाया है। इस योजना बनाओ अभियान से हमें गाँव–गाँव में आम लोगों की आवश्यकताओं को समझने, उसके अनुसार कार्य योजना बनाने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा होगी।

6. **अध्यक्ष महोदय,** लोकतंत्र में जनभागीदारी बुनियादी आवश्यकता है। इसलिए मैंने जो यह शुरूआत की है, इसके पीछे मेरी परखी हुई सोच यह है कि जनता में यह अहसास जागृत करना होगा कि इस व्यवस्था में उनकी कही हुई बातें होती हैं और सरकार उनकी भावना के अनुरूप कार्य करने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। जन सामान्य में इस भावना का संचार होना, हमारी व्यवस्था को खुद–ब–खुद आमजन के प्रति उत्तरदायी होने के लिए प्रेरित करेगा।

7. इन समग्र सफल आयोजनों के लिए मैं राज्य की प्रबुद्ध जनता तथा सचेत प्रशासनिक तंत्र को साधुवाद देता हूँ। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी सरकार की यह अभिनव और अनोखी पहल आगामी वर्षों में और सघन होगी। मेरा विश्वास है कि राज्य के सर्वांगीण विकास में इसके परिणाम न केवल दूरगामी अपितु अतुलनीय होंगे।

8. **अध्यक्ष महोदय,** बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो **सामान्य प्रक्षेत्र** के लिए **सत्रह हजार एक सौ बयालीस करोड़ छियासठ लाख रुपये** (17,142.66 करोड़ रुपये), **सामाजिक प्रक्षेत्र** के

लिए **तेईस हजार सोलह करोड़ उनसठ लाख रुपये** (23,016.59 करोड़ रुपये) तथा **आर्थिक प्रक्षेत्र** के लिए **तेईस हजार तीन सौ तेंतालीस करोड़ चौवालीस लाख रुपये** (23,343.44 करोड़ रुपये) उपबंधित किए गए हैं।

9. **अध्यक्ष महोदय,** बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। राज्य को **अपने कर–राजस्व** से करीब **सत्रह हजार पचास करोड़ रुपये** (17,050.00 करोड़ रुपये) तथा **गैर कर–राजस्व** से करीब **आठ हजार चार सौ पच्चीस करोड़ छिहत्तर लाख रुपये** (8,425.76 करोड़ रुपये), **केन्द्रीय सहायता** से करीब **ग्यारह हजार आठ सौ दो करोड़ रुपये** (11,802.00 करोड़ रुपये), **केन्द्रीय करों में राज्यांश** से करीब **अठारह हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ छियासठ लाख रुपये** (18,478.66 करोड़ रुपये), **लोक ऋण** से करीब **सात हजार सात सौ करोड़ रुपये** (7,700.00 करोड़ रुपये) तथा **उधार एवं अग्रिम की वसूली** से करीब **छियालिस करोड़ सत्ताईस लाख रुपये** (46.27 करोड़ रुपये) प्राप्त होंगे।

10. **अध्यक्ष महोदय,** अब मैं संक्षेप में सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 में **प्रचलित मूल्य** के आधार पर झारखण्ड **राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) दो लाख छब्बीस हजार चार सौ पाँच करोड़ रुपये** (2,26,405 करोड़ रुपये) आकलित किया गया है। यह वर्ष 2014–15 के **एक लाख सत्तानवे हजार पाँच सौ चौदह करोड़ रुपये** (1,97,514 करोड़ रुपये) की तुलना में 14.63 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। **स्थिर मूल्य** पर राज्य का GSDP वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए **एक लाख उनतीस हजार दो सौ पच्चीस करोड़ रुपये** (1,29,225 करोड़ रुपये)

अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के **एक लाख अठारह हजार सात सौ तेंतालीस रुपये** (1,18,743 करोड़ रुपये) की तुलना में 8.83 प्रतिशत अधिक है।

11. **अध्यक्ष महोदय, प्रचलित मूल्य** के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए GSDP में 14.92 प्रतिशत के विकास दर का आकलन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य का GSDP **दो लाख साठ हजार एक सौ पचासी करोड़ रुपये** (2,60,185 करोड़ रुपये) होने का अनुमान लगाया गया है। **स्थिर मूल्य** पर राज्य का GSDP 9.12 प्रतिशत की दर से वित्तीय वर्ष 2016–17 में **एक लाख इकतालीस हजार बारह करोड़ रुपये** (1,41,012 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है।

12. **अध्यक्ष महोदय, प्रचलित मूल्य** पर वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रति व्यक्ति आय 59,114 रुपये अनुमानित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के 52,147 रुपये की तुलना में 13.36 प्रतिशत ज्यादा है। **स्थिर मूल्य** पर प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2015–16 में 33,260 रुपये है, जबकि विगत् वित्तीय वर्ष 2014–15 में यह 30,950 रुपये थी। यह 7.46 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

13. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की राजकोषीय स्थिति से भी सदन को अवगत् कराया जाना समीचीन होगा। राज्य के अपने राजस्व में पूर्व के वर्षों की भाँति चालू वित्तीय वर्ष में भी वृद्धि होने का आकलन है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल **पाँच हजार चार सौ सत्ताईस करोड़ सतहत्तर लाख रुपये** (5,427.77 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में **सात हजार सात सौ उनतीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये (**7,729.11 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

14. आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजकोषीय घाटा **पाँच हजार छः सौ बत्तीस करोड़ तिरासी लाख रुपये** (5,632.83 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित GSDP का 2.16 प्रतिशत है।

15. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य वन सम्पदा एवं खनिज सम्पदा से परिपूर्ण है। इस राज्य की 76 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है। इस आबादी का अधिकांश जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर अवलम्बित है।

16. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कृषि का योगदान 13.86 प्रतिशत है, जबकि कृषि तथा सम्बद्ध प्रक्षेत्र की वृद्धि दर 16.61 प्रतिशत है। इस लिहाज से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, कृषि विकास, ग्रामीण पथों एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, सिंचाई सुविधा में विस्तार, अकुशल श्रम शक्ति को प्रशिक्षित कर कुशल श्रम बनाये जाने से ग्रामीण क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्त्तन लाया जा सकता है।

17. **अध्यक्ष महोदय,** प्रकृति इस वर्ष हमलोगों पर ज्यादा मेहरबान नहीं रही है। वर्षापात में आई गिरावट, मॉनसून का अपेक्षाकृत समयपूर्व प्रयाण तथा बीते सितम्बर–अक्टूबर, 2015 की अत्यल्प बारिश से न केवल खरीफ फसलों को व्यापक क्षति पहुँची है, बल्कि रबी फसलों के लिए वातावरण में अपेक्षित नमी की कमी भी पैदा कर दी है। इसके बावजूद आगामी वित्तीय वर्ष (2016–17) में **स्थिर मूल्य** सूचकांक पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय करीब **छत्तीस हजार दो सौ तिरानवे रुपये** (36,293 रुपये), जबकि **प्रचलित मूल्य** पर **सरसठ हजार नौ सौ चौंतीस रुपये** (67,934 रुपये) होने का अनुमान है। यदि यह

दर ऐसे ही बनी रही तो मुझे विश्वास है कि स्थिर मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रति व्यक्ति आय दस वर्षों से कम की अवधि में दुगनी हो जायेगी।

18. **अध्यक्ष महोदय,** विश्व का आर्थिक इतिहास साक्षी है कि मात्र किसी एक प्रक्षेत्र की प्रगति से किसी प्रदेश या देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। सर्वांगीण विकास हेतु आर्थिक जगत के तीनों प्रक्षेत्रों यथा; प्राईमरी सेक्टर, सेकेण्डरी सेक्टर तथा टर्शियरी सेक्टर को समरूप गति से गतिमान करना होगा। राष्ट्र स्तर पर उदीयमान प्रदेशों में शुमार होने वाले राज्यों में न केवल कृषि विकसित अवस्था में है, बल्कि वहाँ के उद्योग–धंधे तथा सेवा प्रक्षेत्र भी ऊर्जावान् हैं। मेरी सरकार की यह सार्थक कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, अन्य प्रदेशों से तथा अंतर्राष्ट्रीय पूँजी राज्य में लगे, श्रम–पलायन पर विराम लगे तथा अंततः यहाँ का चप्पा–चप्पा आर्थिक गतिविधियों से झंकृत हो, ताकि प्रदेश के चिर–प्रतीक्षित विकास के सपने जमीन पर उतरें। एतदर्थ प्रदेश में अधिकाधिक सहमति से ऐसे प्रयासों को अमल में लाये जाने के लिए मेरी सरकार कृत संकल्प है।

19. **अध्यक्ष महोदय,** उपरोक्त संदर्भ में राज्य की आर्थिक प्रगति को इसके तीनों प्रक्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख करना चाहूँगा। फिलवक्त के रुझान के अनुसार **स्थिर मूल्य सूचकांक** पर राज्य के **प्राईमरी सेक्टर** का इस वित्तीय वर्ष में 8.50 प्रतिशत की दर से प्रगति करने का अनुमान है, जबकि **वर्त्तमान मूल्य सूचकांक** पर 14.09 प्रतिशत का। **स्थिर मूल्य सूचकांक** पर **सेकेण्डरी सेक्टर** के लिए इस वर्ष की अनुमानित प्रगति दर 2.94 प्रतिशत रहने का है, जबकि **वर्त्तमान मूल्य सूचकांक** पर इसकी वृद्धि दर 9.65 प्रतिशत रहना अनुमानित है। **टर्शियरी सेक्टर** के लिए इस वर्ष का **स्थिर मूल्य सूचकांक** पर अनुमानित

वृद्धि दर 12.00 प्रतिशत है, जबकि **वर्त्तमान मूल्य सूचकांक** पर यह वृद्धि 17. 53 प्रतिशत अनुमानित है।

20. **अध्यक्ष महोदय,** सर्वविदित है कि केन्द्र सरकार के सक्षम नेतृत्व के द्वारा **चौदहवाँ वित्त आयोग** की अनुशंसा के आलोक में **संघीय करों के माध्यम से होनेवाली प्राप्तियों** में अब राज्यों को इसी वित्तीय वर्ष से 42 प्रतिशत की राशि प्राप्त हो रही है। इसके पूर्व यह प्राप्ति 32 प्रतिशत की रही थी। ऐसा होने से राज्य के पास वित्तीय संसाधन में अभिवृद्धि और योजनाओं को अपने तरीके से कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।

21. **अध्यक्ष महोदय,** विगत् वर्ष की बजट घोषणाओं का ATR रखने के अलावा इस वर्ष सरकार एक नई पहल के अन्तर्गत **सामान्य बजट** के अन्तर्गत **कृषि बजट** तथा **जेन्डर बजट** भी सदन में रखने का निर्णय ले चुकी है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें सिंचाई तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना भी सम्मिलित है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और इसे विकासोन्मुख बनाने के दृष्टिकोण से कृषि, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता, जल संसाधन तथा ग्रामीण विकास की कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के महत्वपूर्ण कार्यों को समेकित करते हुए एक होलिस्टीक परिदृश्य प्रस्तुत करने की नितांत आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्रों के लिए **कृषि बजट** के रूप में एक समेकित कार्य योजना तैयार की गई है, ताकि इस सम्पूर्ण प्रक्षेत्र को वित्तीय तथा संस्थागत सम्बल दिया जा सके। **आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के वार्षिक**

**उपबंध को गत् वर्ष की तुलना में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाते हुए दोगुना से अधिक करने का प्रस्ताव है।** आगामी वित्तीय वर्ष में **समस्त योजना उद्व्यय का 13.07 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों के विकास के लिए** कर्णांकित करने का प्रस्ताव है। **कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों के दिन माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता द्वारा सदन के समक्ष इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।**

22. **अध्यक्ष महोदय,** वैश्विक आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की भूमिका अतुलनीय है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अवधारणा घर कर गयी है कि हरेक सृजन की सम्भावनाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण से ही राज्य एवं राष्ट्र का विकास हो सकता है। महिलाओं की उन्नति के लिए सरकार के स्तर से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं को वर्गीकृत करके सामने लाने की जरूरत है और इन्हें विशेष ध्यान देकर लागू करने की निहायत आवश्यकता है। मैं आश्वस्त हूँ कि सदन की सहमति है कि महिला सशक्तिकरण इस युग की मांग है। यह दीगर बात है कि सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित होने वालों की हिस्सेदारी में सामान्यतः इस वर्ग की स्वाभाविक हिस्सेदारी आधे की है। परन्तु, पुरुष–प्रगति की तुलना में महिला–प्रगति सापेक्षिक नहीं दिखती है। इसी पृष्ठभूमि में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित होने वाली **वैसी सभी योजनाओं का, जिसमें महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत या अधिक का प्रावधान हो, उन्हें जेन्डर बजट के रूप में समेकित किया गया है।** महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अनुदान मांगों के दिन माननीया मंत्री, कल्याण, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा द्वारा सदन के समक्ष इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में

समस्त योजना उद्व्यय के अधीन **वैसे कार्यक्रम जिनमें जेन्डर बजट का प्रावधान है, का सकल उद्व्यय 13,515.73 करोड़ रुपये है, जिसमें से 43.72 प्रतिशत राशि महिलाओं के विकास हेतु** कर्णांकित करने का प्रस्ताव है।

23. **अध्यक्ष महोदय,** जहाँ एक ओर सरकार कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्रों के सतत् विकास हेतु प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी ओर हमारा यह भी प्रयास है कि राज्य में उद्योग–धंधों का माहौल बेहतर–से–बेहतर हो। उद्योग–व्यापार प्रारम्भ करने में कम–से–कम समय लगे, प्रक्रियाओं की जटिलता को कम किया जाए तथा आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, इस पर भी कार्रवाई चल रही है। यह सदन अवगत् है कि विगत् एक वर्ष के प्रयासों से पूरे देश में **श्रम सुधारों में झारखण्ड राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ** है तथा **Ease of Doing Business में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ** है। हम इस दिशा में और आगे कार्रवाई करते हुए राज्य में पूँजी निवेश का बेहतर महौल बनायेंगे। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि आगामी 1 अप्रैल, 2016 से राज्य में **नई औद्योगिक एवं पूँजी निवेश प्रोत्साहन नीति** लागू कर दी जाएगी।

24. **अध्यक्ष महोदय,** चालू वित्तीय वर्ष (2015–16) में **बजट अनुमान** (BE) कुल **पचपन हजार चार सौ बानवे करोड़ पचानवे लाख रुपये** (55,492.95 करोड़ रुपये) का था, जिसमें योजना मद में **बत्तीस हजार एक सौ छत्तीस करोड़ चौरासी लाख रुपये** (32,136.84 करोड़ रुपये) एवं गैर योजना मद में **तेईस हजार तीन सौ छप्पन करोड़ ग्यारह लाख रुपये** (23,356.11 करोड़ रुपये) का प्रावधान था। आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट अनुमान (BE) कुल **तिरेसठ हजार पाँच सौ दो करोड़ उनहत्तर लाख रुपये (**63,502.69

करोड़ रुपये) का प्रस्तावित है, जिसमें योजना मद में **सैंतीस हजार पैंसठ करोड़ पैंतीस लाख रुपये** (37,065.35 करोड़ रुपये) एवं गैर योजना मद में **छब्बीस हाजर चार सौ सैंतीस करोड़ चौंतीस लाख रुपये** (26,437.34 करोड़ रुपये) शामिल है।

25. **अध्यक्ष महोदय,** उपरोक्त आँकड़ों पर गौर करने से स्पष्ट होगा कि **चालू वित्तीय वर्ष (2015–16)** से **आगामी वित्तीय वर्ष (2016–17)** के **बजट अनुमान (BE)** में **14.43 प्रतिशत** ज्यादा राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। **चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान (BE)** में जहाँ **योजना 57.91 प्रतिशत** का था, वहीं **गैर योजना 42.09 प्रतिशत** का था। **आगामी वित्तीय वर्ष** के **बजट अनुमान (BE)** में **योजना 58.37 प्रतिशत** का है, **जबकि गैर योजना 41.63 प्रतिशत** है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार **गैर योजना** से **योजना मद** में ज्यादा राशि खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

26. **अध्यक्ष महोदय, शत प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित योजना** की बात छोड़कर यदि हम **योजना** में प्रस्तावित प्रावधान को **राजस्व एवं पूँजी परिव्यय** में बाँटकर देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि **चालू वित्तीय वर्ष** में **राजस्व परिव्यय** में जहाँ **बाईस हजार दस करोड़ इक्कीस लाख रुपये** (22,010. 21 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया था, वहीं **आगामी वित्तीय** वर्ष में **चौबीस हजार दो सौ छत्तीस करोड़ बहत्तर लाख रुपये** (24,236.72 करोड़ रुपये) का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि 10.12 प्रतिशत ज्यादा प्रावधान का सूचक है। **चालू वित्तीय** वर्ष में **पूँजी परिव्यय** में **नौ हाजर तीन सौ इकतालीस करोड़ चौबन लाख रुपये** (9,341.54 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया था, जो कि **आगामी वित्तीय वर्ष** में बढ़कर यह **बारह हजार चार**

**सौ सैंतीस करोड़ अठारह लाख रुपये** (12,437.18 करोड़ रुपये) हो गया है। यह बढ़ोत्तरी **33.14 प्रतिशत** का द्योतक है।

27. **अध्यक्ष महोदय,** बजट गठन के संदर्भ में आप सभी से प्राप्त सुझाव, बजट पूर्व बैठकों के माध्यम से साधा गया राज्यव्यापी सम्पर्क और **योजना बनाओ अभियान** के दौरान किये गये विचारों के आदान–प्रदान से जो सकारात्मक निष्कर्ष निकला है, उसी की पृष्ठभूमि में सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए गठित बजट में कतिपय प्रक्षेत्रों में विशेष फोकस करने का प्रयास करेगी। विशेष फोकस के प्रक्षेत्र निम्न हैं :–

- **कृषि, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता, जल संसाधन, एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तथा रोजगार सृजन**
- **शिक्षा,**
- **स्वास्थ्य,**
- **कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा**
- **उद्योग, कौशल विकास तथा श्रमिक कल्याण एवं श्रम सुधार**
- **आधारभूत संरचना,**
- **ग्रामीण सड़क,**
- **परिवहन,**
- **नगरीय संरचना में अभिवृद्धि,**
- **सूचना प्रौद्योगिकी,**
- **पेयजल एवं स्वच्छता,**

- **जलवायु परिवर्तन,**
- **राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण,**
- **विधि व्यवस्था,** तथा
- **प्रशासनिक कार्य प्रणाली को जनोन्मुखी बनाने, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं वित्तीय प्रबंधन में सुधार** पर सरकार विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करेगी।

## कृषि, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता, जल संसाधन, एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तथा रोजगार सृजन

28. **अध्यक्ष महोदय,** अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के प्राथमिक कार्य क्षेत्रों के प्रथम पायदान पर आने वाले कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक गतिविधियाँ दृष्टिगत होंगी। कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्रों के लिए 100 फीसदी से ज्यादा का प्रावधान आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित है, जिसका विस्तृत उल्लेख मैं आगे करूँगा।

29. **अध्यक्ष महोदय,** कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के बजट को **चालू वित्तीय** वर्ष के प्रावधान से दोगुना से अधिक करने का प्रस्ताव है। कृषि कर्म को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्य किये जाने हैं:–

- **कृषि ''सिंगल विन्डो'' की स्थापना,**
- **कृषकों को पटवन के लिए अनुदानित दर पर डीजल की आपूर्त्ति,**
- **गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में,**

- एक लाख डोभा का निर्माण,
- 1,000 लिफ्ट इरिगेशन का स्वयं सेवी सहायता समूह के माध्यम से संचालन,
- सोलर पम्पस् का अधिष्ठापन,
- जैव खेती को बढ़ावा,
- ट्रैक्टर के स्थान पर पावर टीलर का उपयोग,
- कृषकों तथा संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण,
- फसल बीमा योजना का व्यापक प्रसार,
- शीतगृहों की स्थापना,
- विधायक योजना की राशि में प्रति विधायक एक करोड़ रुपये की सिंचाई कार्य हेतु वृद्धि; आदि के कार्य।

30. अध्यक्ष महोदय, विधायक योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाली निधि की राशि को रुपये 3 करोड़ से बढ़ाकर अब रुपये 4 करोड़ करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई राशि का उपयोग कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में होगा। शहरी क्षेत्रों में अलग से प्रावधान किये जायेंगे।

31. अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त विधायक योजना की राशि की निकासी की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। इस हेतु अब जिला मुख्यालय स्तर के डी॰डी॰ओ॰ के बजाय सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग–अलग डी॰डी॰ओ॰ बनाये जायेंगे।

32. **अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न डॉ॰ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती वर्ष के अवसर पर आगामी वित्तीय वर्ष से राज्य योजना की राशि से मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना राज्य में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ।**

33. **आगामी वित्तीय वर्ष में सभी प्रखण्ड भवनों के निर्माण की महत्ती कार्य योजना का प्रारम्भ किया जाएगा, जिसके तहत् आगामी तीन वर्षों में आवश्यकतानुसार प्रखण्डों के नए प्रखण्ड–सह–अंचल भवन का निर्माण पूरा होगा।**

34. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में सभी पंचायतों के लिए भी **पंचायत सचिवालय भवनों** का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं वर्ष 2017–18 तक उनसबों में ब्रॉड–बैण्ड की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

35. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में चल रही वृहद सिंचाई योजनाएँ यथा; स्वर्णरेखा बहुद्देशीय योजना, पुनासी रिजरवायर योजना, कोनार सिंचाई योजना, अमानत बराज योजना, उत्तरी कोयल रिजरवायर योजना, बटेशवर स्थान पम्प कनाल योजनाओं पर कराये जा रहे आवश्यक कार्य वर्ष 2016–17 में भी होंगे।

राज्य में मध्यम सिंचाई योजनाएँ यथा; तजना रिजरवायर योजना, राइसा रिजरवायर योजना, सुरू रिजरवायर योजना, दोमानी नाला सिंचाई योजना, तिलैयार रिजरवायर योजना, दाहावती रिजरवायर योजना, कांटी रिजरवायर योजना, कांश रिजरवायर योजना, झरझरा रिजरवायर योजना पर कराये जा रहे कार्य वर्ष 2016–17 में भी जारी रहेगा।

36. **राज्य के सभी 32,000 गाँवों एवं सभी 4,402 पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु मनरेगा की योजनाओं का चयन करते हुए श्रम बजट तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।** टोला सभा में ग्रामीणों के साथ चर्चा कर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं आजीविका में वृद्धि के दृष्टिकोण से गाँव में छोटी–छोटी योजनाओं का चयन किया जा रहा है। इन योजनाओं में भूमि समतलीकरण, मेढ़बंदी, डोभा, पोखर, तालाब, कुआँ इत्यादि के माध्यम से जल संचय की योजनाओं के निर्माण एवं बकरी शेड, मुर्गी शेड इत्यादि विषयक आजीविका मूलक कार्यों पर बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में व्याप्त सुखाड़ की स्थिति और इसके प्रभाव से कृषि कार्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पारिश्रमिक रोजगार (Wage Employment) की माँग में अधिकाधिक वृद्धि की संभावना को दृष्टिपथ में रखते हुए सुखाड़ निरोधक (Drought Proofing) योजनाओं यथा; जल संचयन, जल संरक्षण आदि योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

## स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

37. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2016–17 के बजट निर्माण में शिक्षा प्रक्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समाज के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का समान एवं समुचित लाभ पहुँचाना मेरी सरकार का लक्ष्य है।

38. **अध्यक्ष महोदय,** विगत् एक वर्ष में राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए अबतक क्रमशः 15,000 (पन्द्रह हजार) एवं 1,717 (एक हजार सात सौ

सत्रह) शिक्षकों की नियुक्ति कर शैक्षणिक कार्य के लिए उपलब्ध मानव संसाधन में वृद्धि की गई है।

39. **अध्यक्ष महोदय,** माध्यमिक विद्यालयों के लिए **आने वाले छः माह में 18,000 (अठारह हजार) शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना है।**

40. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में प्रस्वीकृत मदरसों का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस हेतु भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2015–16 में लगभग आठ करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर ली गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी मदरसों के आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण की योजना है।

41. **अध्यक्ष महोदय, एक पुरुष साक्षर होता है, तो एक व्यक्ति साक्षर होता है। एक महिला साक्षर होती है, तो संपूर्ण परिवार साक्षर होता है।** बालिका शिक्षा का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। **वित्तीय वर्ष 2015–16 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, 57 प्रखण्डों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय के कक्षा–8 में अध्ययनरत् बालिकाओं को निःशुल्क टैब उपलब्ध कराने तथा इन विद्यालयों में व्यायामशाला तथा चाहरदीवारी संबंधी योजना, कक्षा–9 से कक्षा–12 तक की सभी कोटि की छात्राओं को निःशुल्क पोशाक, पाठ्य-पुस्तक एवं कॉपी वितरण की योजना को नयी योजनाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी। बालिका शिक्षा हेतु इन योजनाओं का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। निःशुल्क साईकिल**

**वितरण योजना, स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना भी राज्य में संचालित है।**

42. **अध्यक्ष महोदय,** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् शिक्षा को व्यावसाय से जोड़ते हुए पाँच ट्रेडों यथा; सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवायें, पर्यटन तथा संचार माध्यम एवं मनोरंजन में व्यावसायिक शिक्षा का पठन-पाठन 53 विद्यालयों में प्रारम्भ कर दिया गया है।

43. **अध्यक्ष महोदय,** "**विद्यालय चलें चलायें अभियान, 2015**", "**पहले पढ़ाई, फिर बिदाई**", "**स्वच्छ भारत**", "**स्वच्छ विद्यालय : स्वस्थ बच्चे**", "**हमारा विद्यालय कैसा हो**", "**बाल समागम**", "**कस्तूरबा संगम**" आदि कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए शिक्षा को जन–जन के द्वार तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया गया है।

44. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2016–17 में शिक्षा की नींव को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से **बजट पूर्व प्रमंडल स्तरीय संगोष्ठी** तथा **बजट पोर्टल** पर सुझाव प्राप्त किये गये। शिक्षा के संबंध में **माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की आधारभूत सुविधा, कम्प्यूटर शिक्षा/स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था, बेंच–डेस्क की व्यवस्था, विद्यालय में पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं की समुचित व्यवस्था, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था, विभिन्न स्तरीय पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण, शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालयों का निरीक्षण, विद्यालयों में बिजली की सुविधा एवं जिला स्कूल के सुदृढ़ीकरण** पर आम जनता के सुझाव तथा परामर्श प्राप्त हुए हैं।

45. **अध्यक्ष महोदय,** इस प्रकार राज्य सरकार के समक्ष आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में विद्यालयों में **बेंच–डेस्क तथा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा उपकरण** की समुचित व्यवस्था करनी है। आगामी छः माह में **माध्यमिक विद्यालयों में 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करते हुए छात्र के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है।** मध्याह्न भोजन योजना का गुणवत्तापूर्ण संचालन, व्यावसायिक शिक्षा का विस्तारीकरण, कम्प्यूटर शिक्षा एवं स्मार्ट क्लासेस की पर्याप्त व्यवस्था करना आदि भी हमारी प्राथमिकतायें होंगी। संक्षेप में शिक्षा की रोशनी जन–जन के द्वार तक ले जाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है।

46. वित्तीय वर्ष 2015–16 से पूरक पोषण योजनान्तर्गत बच्चों को सप्ताह में तीन दिन अंडा/फल दिया जा रहा है। **वित्तीय वर्ष 2016–17 में इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की जाएगी कि जो बच्चे अपने आहार में अंडा नहीं लेते हैं, उन्हें पौष्टिक एवं सुगंधित दूध दिया जाएगा। प्रथम चरण में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राँची जिले में लागू की जाएगी।**

47. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में उच्च शिक्षा का GER 8.1 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 19.4 प्रतिशत है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कुल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio) को वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में दो पाली में कक्षा का संचालन करने का निर्णय लिया गया है।

48. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से **झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन करते हुए विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति संबंधी कार्रवाई के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत किया गया है।**

49. **अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा ग्यारह (11) जिलों में जहाँ महिला महाविद्यालय संचालित नहीं है, यथा; सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूँटी, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला–खरसावां एवं लातेहार में महिला महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है,** जिसके लिए **कोडरमा, रामगढ़, सरायकेला–खरसावां, गुमला, साहेबगंज एवं लोहरदगा में महिला महाविद्यालय** हेतु भवन निर्माण की **स्वीकृति भी दी गई** है। महिला महाविद्यालय खोलने से महिलाओं के कुल नामांकन अनुपात में काफी बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

50. **राज्य में नए महाविद्यालयों की स्थापना हेतु बारह (12) शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े जिले (Educationally Backward Districts) के रूप में चिह्नित जिलों में महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इनमें गढ़वा, कोडरमा, चतरा, पाकुड़, पलामू, सरायकेला–खरसावां, गुमला, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका और साहेबगंज शामिल हैं। इन 12 जिलों में से चतरा, सरायकेला–खरसावां, गुमला, गिरिडीह, गोड्डा एवं कोडरमा में महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।**

51. **राज्य में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए और निजी पूँजी निवेश के माध्यम से ऐमिटी विश्वविद्यालय समेत पाँच प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु Letter of Intent (LoI) वितरित किया गया है।**

52. **अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार वर्ष 2022 तक चरणबद्ध तरीके से विधानसभावार महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है। प्रथम चरण में वैसे विधानसभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की योजना है, जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं तथा जहाँ बुनियादी शिक्षण संस्थान का अभाव है।**

53. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार सुरक्षा संबंधी पाठ्यक्रमों के अध्ययन–अध्यापन हेतु **झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना** कर रही है। **उक्त विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है।** इस **वित्तीय वर्ष में उक्त विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना** है।

54. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना **"मेक इन इंडिया"** को सफलीभूत करने हेतु राज्य के **विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के कौशल विकास हेतु नया पाठ्यक्रम लागू करने की योजना है, जिससे छात्र–छात्राएं पारंपरिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यवसायिक/तकनीकी रूप से दक्ष हो सकें।**

55. राज्य सरकार केन्द्र प्रायोजित योजना **"राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान"** के अन्तर्गत प्रोफेशनल कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है। **साथ ही**

**विश्वविद्यालयों यथा; राँची विश्वविद्यालय, राँची, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग एवं कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा तथा तीस महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना के विकास का प्रस्ताव है।**

56. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए राज्य प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

- वर्त्तमान में राज्य में 12 निजी, 3 PPP Mode पर संचालित एवं एक सार्वजनिक क्षेत्र का अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित है। भारत वर्ष में औसतन 7.7 लाख जनसंख्या पर एक अभियंत्रण महाविद्यालय है जबकि झारखण्ड में 20 लाख जनसंख्या पर एक अभियंत्रण महाविद्यालय है। इस प्रकार भारत सरकार के मानक के अनुरूप राज्य में अतिरिक्त 26 अभियंत्रण महाविद्यालयों की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से **राज्य सरकार निजी एवं सरकारी क्षेत्र में अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करना चाहती है, जिसके लिए सरकार द्वारा पलामू, राँची एवं कोडरमा में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार राज्य के सभी प्रमण्डलों में एक–एक अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हो जायेगी।**
- **तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु रामगढ़ जिले में भूमि प्राप्त कर ली गयी है।** निर्माण हेतु कुल 104.37 करोड़ रुपये के DPR पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय **वर्ष 2016–17 में रामगढ़ में प्रथम महिला अभियंत्रण**

**महाविद्यालय के स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।**

- **अभियंत्रण महाविद्यालय बी॰आई॰टी॰ सिन्दरी को नये रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके लिए तैयार कुल 156.12 करोड़ रुपये के DPR पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में बी॰आई॰टी॰ सिन्दरी को भारत के मानचित्र पर नये रूप में स्थापित करने की महत्वाकाँक्षी योजना है।**
- वर्त्तमान में राज्य में 15 निजी, एक PPP Mode पर संचालित एवं 13 सार्वजनिक क्षेत्र के पोलिटेकनिक संस्थान है। Diploma पाठ्यक्रमों में भारत वर्ष में औसतन प्रति तीन लाख जनसंख्या पर एक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं जबकि झारखण्ड राज्य में लगभग प्रति 11 लाख जनसंख्या पर एक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान है। अतएव **राज्य में अतिरिक्त 80 नये पोलिटेकनिकों की आवश्यकता है। राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में पोलिटेकनिक संस्थान के स्थापना हेतु प्रतिबद्ध है।** भारत सरकार द्वारा राज्य के 17 जिलों में राजकीय पोलिटेकनिक की स्थापना हेतु स्वीकृति दी गयी है जिनमें से पांच गोला, गढ़वा, गुमला, पाकुड़ एवं जगन्नाथपुर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। शेष 12 जिलों में राजकीय पोलिटेकनिकों के निर्माण कार्य हेतु प्रति पोलिटेकनिक 25.57 करोड़ रुपये योजना स्वीकृत की गयी है जिसके तहत् इन सभी पोलिटेकनिकों में Administrative Building,

Academic Building, Work Shop, Hostel Building, Faculty Quarters, Staff Quarter इत्यादि का निर्माण किया जाना है। इस तरह कुल 306.84 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत है जिसमें से **11 यथा; साहेबगंज, मधुपुर (देवघर), लोहरदगा, चतरा, सिमडेगा, खूँटी, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा हजारीबाग, जामताड़ा** में नये पोलिटेकनिकों का निर्माण कार्य प्रारम्भ है। **वित्तीय वर्ष 2016–17 में पलामू में यह कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।**

- राज्य सरकार द्वारा 7 नवनिर्मित पोलिटेकनिक संस्थानों **गोला, गढ़वा, गुमला, पाकुड़, चांडिल, बहरागोड़ा एवं जगन्नाथपुर** को PPP Mode पर चलाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रथम चरण में राज्य में तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सफलतापूर्वक PPP Mode पर संचालन को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से जिन निर्माणाधीन 7 पोलिटेकनिक संस्थान पाकुड, गोला, गुमला, चांडिल, बहरागोड़ा, जगन्नाथपुर एवं गढ़वा में नामांकन प्रारम्भ करने के लिए RFP के माध्यम से Private Partner के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। परन्तु पर्याप्त संख्या में Responsive तकनीकी बीड प्राप्त नहीं होने के कारण मात्र पोलिटेकनिक गोला, चांडिल एवं पाकुड़ का संचालन शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से होगा, जिसके लिए परामर्शी के रूप में Jinfra के साथ MOU किया गया है।
- वर्त्तमान में राज्य में कुल 13 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान संचालित है जिनमें प्रति वर्ष 2,770 छात्रों का नामांकन होता है। **राज्य सरकार द्वारा नवनिर्मित पोलिटेकनिक संस्थानों गोला, पाकुड़, चांडिल में वर्ष 2016–17 से 300–300 सीट पर नामांकन प्रारम्भ हो जायेगा।**

**इस प्रकार अगले वर्ष से पोलिटेकनिक में नामांकन हेतु 900 सीट बढ़ जायेगी। इस प्रकार वर्ष 2016–17 से प्रति वर्ष नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या 3,670 हो जायेगी।**

- तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभागान्तर्गत संचालित 13 राजकीय पोलिटेकनिकों एवं सात निर्माणाधीन राजकीय पोलिटेकनिकों यथा; गोला, गढ़वा, गुमला, जगन्नाथपुर, बहरागोड़ा, चांडिल, पाकुड़ में 200 शैय्या वाले महिला छात्रावास का निर्माण कार्य हेतु प्रति पोलिटेकनिक 5.12 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत है। इस प्रकार कुल 102.4 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है। **वित्तीय वर्ष 2016–17 में सभी राजकीय पोलिटेकनिकों में 200 शैय्या वाले महिला छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा।**
- झारखण्ड राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में Private Players को आकर्षित करने के लिए Technical Education Hub की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जहाँ विभिन्न प्रकार के तकनीकी संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र परस्पर समन्वय के साथ कार्य कर सकें।
- Technical Education Quality Improvement Program (TEQIP) का द्वितीय चरण सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस चरण में दो संस्थानों – बी॰आई॰टी॰ मेसरा एवं Cambridge Institute of Technology के सुदृढ़ीकरण के लिए सहयोग दिया जा रहा है। इससे इन संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार में सुविधा मिलेगी, साथ ही Post graduate शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

57. **तकनीकी संस्थानों में इनोवेटिव लर्निंग (Innovative learning) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Digital Library की स्थापना, फ्री वाई–फाई (Free Wi-Fi) की सुविधा, Video Lecture, Digital Note तथा Laptop/Tab से संबंधित योजना लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।**

58. **परीक्षाओं के दौरान भी कक्षाएँ अबाध चले इसके लिए प्रथम चरण में राज्य के दस जिलों में एक–एक बहुउद्देशीय परीक्षा भवन बनाए जाएँगे। यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ हो जाएगा।**

## स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

59. **अध्यक्ष महोदय,** स्वास्थ्य सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता विकास की अवधारणा का महत्वपूर्ण पारामीटर है। राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को निरोधात्मक एवं उपचारात्मक चिकित्सा सुविधा अपने संसाधन से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

60. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य गठन के साथ ही आधारभूत संरचनाओं का निर्माण लगातार कराया जा रहा है, ताकि भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुरूप आवश्यक औषधालयों से इन्हें सुसज्जित कर आवश्यक मानव संसाधनों को लगाया जा सके।

61. **अध्यक्ष महोदय,** वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

- **असाध्य रोगों की चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के स्थान पर ''मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना'' की स्वीकृति दी**

**गई है जिसके अन्तर्गत बी॰पी॰एल॰ के अतिरिक्त 72 हजार रुपये वार्षिक आय वाले परिवार को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या 29 से बढ़ाकर 44 की गयी है, रोगों की संख्या जिसके लिए चिकित्सा सहायता का प्रावधान किया गया है, 17 से बढ़ाकर 85 किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना में चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया है, गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अधिकत्तम 5 लाख रुपये एवं कैन्सर के लिए अधिकत्तम 4 लाख रुपये किया गया है** तथा चिकित्सा अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

- **बी॰पी॰एल॰ एवं 72 हजार वार्षिक आय वाले परिवारों के निःशुल्क पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जाँच** हेतु **''मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँच योजना''** की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत् सभी प्रकार की जाँच उक्त श्रेणी के लोगों को निःशुल्क की जायेगी।
- राज्य के सभी जिला अस्पतालों एवं तीनों चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में पी॰पी॰पी॰ मोड पर पैथोलोजी जाँच हेतु एस॰आर॰एल॰ एवं मेडॉल द्वारा स्थापित जाँच केन्द्रों में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रेडियोलोजी जाँच हेतु मणिपाल प्राईवेट लि॰ एवं फिलिप्स कम्पनी द्वारा गठित हेल्थमैप कम्पनी के साथ एकरारनामा किया गया है।
- "108" Emergency Medical Ambulance Service के अन्तर्गत 330 एम्बुलेन्स के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। चयनित एजेन्सी के साथ एकरारनामा हो गया है। एम्बुलेन्स का क्रयादेश निर्गत कर दिया

गया है। फैब्रिकेशन के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गयी है। इस वित्तीय वर्ष में इस सेवा का शुभारंभ किया जायेगा।

- **तीन नये चिकित्सा महाविद्यालयों पलामू, हजारीबाग एवं दुमका के भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। डी॰पी॰आर॰ तैयार हो गया है। निर्माण कार्य इस वर्ष प्रारंभ होगा।**
- विगत एक वर्ष में 331 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 32 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेरह जिला खाद्य एवं औषधि कार्यालय, सात बर्न यूनिट, छः मॉर्च्यरी, पाँच जिला अस्पताल, तीन एम॰सी॰एच॰, दो जी॰एन॰एम॰ स्कूल, एक ए॰एन॰एम॰ स्कूल एवं एक ट्रॉमा सेन्टर, स्वास्थ्य निदेशालय भवन, आयुष निदेशालय भवन, खाद्य एवं औषधि निदेशालय भवन, राज्य योग केन्द्र, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु में 50 बेड का छात्रावास एवं डी–टाईप का क्वार्टर, पी॰एम॰सी॰एच॰, धनबाद में ऑडिटोरियम, केन्द्रीय आकस्मिक वार्ड एवं पुस्तकालय, एम॰जी॰एम॰सी॰एच॰, जमशेदपुर में ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, परीक्षा भवन एवं अन्य कई भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। इनमें से कई भवनों को उपयोग में लाया जा रहा है। शेष भवनों को भी अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपयोग में लाया जायेगा।
- **राज्य के 24 प्रखण्डों में पायलट बेसिस पर Sickle Cell Anaemea की जाँच का शुभारंभ किया गया है। इस वर्ष के अंत तक सभी जनजातीय क्षेत्रों में इसे कार्यान्वित किये जाने की योजना है।**

- राज्य औषधि नीति, 2015 का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत सभी आउटडोर एवं इनडोर मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करायी जानी है।
- सभी जिला अस्पतालों एवं दो मेडीकल कॉलेज अस्पतालों में Dialysis Unit की स्थापना की जायेगी।
- पाँच CHCs, 25 PHCs एवं 50 HSCs को Model Health Facility के रुप में विकसित किया जायेगा।
- निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी।

62. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2016–17 में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में प्रस्तावित मुख्य नई योजनाएँ निम्नवत् है :–

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** के दायरे में वृद्धि करते हुए **कम्प्रेहेन्सिभ हेल्थ इंस्युरेन्स कवरेज** की योजना प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है। **इस योजना के तहत चिन्हित श्रेणी के लोगों को दो लाख रुपये तक के सेकेण्डरी एवं टर्शियरी केयर की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।**
- **आदिम जनजाति के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में विशेष स्वास्थ्य सुरक्षा पैकेज योजना** प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इसके तहत आदिम जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क जाँच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

- **किडनी रोगियों को बेहतर जाँच एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ब्राम्बे, राँची में राष्ट्रीय स्तर के सुपर स्पेसियलिटी न्यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है।**
- **ब्राम्बे, राँची में ही डायबिटीज के रोगियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का डायबिटीज केयर सेन्टर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।**
- **चाईबासा एवं बोकारो में दो और नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रारंभिक कार्रवाई की जायेगी।**
- **कोडरमा जिला के करमा गाँव में अवस्थित केन्द्रीय श्रम मंत्रालय का अस्पताल एवं भूमि, जो राज्य सरकार को हस्तांतरण की प्रक्रिया में है, में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।**
- **एम॰जी॰एम॰ मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर के परिसर में 500 शय्यावाला अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव है।** ज्ञातव्य हो कि वर्तमान अस्पताल, कॉलेज परिसर से 8 कि॰मी॰ दूर है।
- **आई॰पी॰एच॰ भवन नामकुम में सामुदायिक स्वास्थ्य विषय पर तीन वर्षीय स्नातक स्तरीय पाठयक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।**
- गैर सरकारी संगठनों एवं सामुदायिक भागीदारी से **पैलियेटीव केयर की सुविधा** प्रदान करने की योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।
- राज्य के जिला एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं/दवा आदि के साथ रोगियों के अभिलेख, उपचार, खर्च आदि का विस्तृत विवरण संधारित करने हेतु **होस्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम** लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

- राँची में **सेन्ट्रल बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल यूनिट** की स्थापना की जायेगी।

## कल्याण, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा

63. **अध्यक्ष महोदय,** जनजाति बहुल इस प्रदेश में उनके समग्र विकास के लिए कल्याण एवं समाज कल्याण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत चलाई जाने वाली योजनाएँ स्वतः प्राथमिक हो जाती हैं। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोजना के रूप में भी संचालित है। अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजना लागू है। महिला एवं बाल विकास के लिए समन्वित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जाता है।

64. **अध्यक्ष महोदय,** कल्याण विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। **राज्य सरकार कृत संकल्पित है कि छात्र–छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो, इसके लिए पर्याप्त राशि का आवंटन करते हुए स्वीकृति की प्रक्रियाओं में भी अपेक्षित सरलीकरण लाया जाय।**

65. **अध्यक्ष महोदय,** कल्याण विभाग द्वारा वर्ग–8 में नामांकित एवं अध्ययनरत बी॰पी॰एल॰ एवं ए॰पी॰एल॰ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को साईकिल क्रय हेतु कुल 3,000 रुपये प्रति छात्र/छात्रा को खाते में राशि हस्तांतरित की जाती है।

66. **अध्यक्ष महोदय,** कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्त्ति हेतु प्रति विद्यार्थी माध्यमिक के लिए 100 रुपये एवं इन्टर के लिए 175 रुपये की दर से झारखण्ड अधिविद्य शिक्षा परिषद् की माँग के अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है। कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/पी॰टी॰जी॰ वर्गों के छात्र–छात्राओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बी॰आई॰टी॰ मेसरा में यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का सम्पोषण किया जा रहा है।

67. अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास, टी॰एस॰पी॰ क्षेत्रों के प्रशासनिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत राशि विमुक्त की जाती है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भी प्रावधान प्रस्तावित है।

68. **अध्यक्ष महोदय,** अनुसूचित जनजातियों के स्वःनियोजन एवं आय वृद्धि हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to TSP) मद के अन्तर्गत राशि विमुक्त की जाती है।

69. **अध्यक्ष महोदय,** कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आदिम जनजातियों के समग्र विकास हेतु **आदिम जनजाति विकास प्राधिकार (Primitive Tribal Development Authority) के गठन का प्रस्ताव है।** इस प्राधिकार के माध्यम से झारखण्ड राज्य की कुल 77,000 आदिम जनजातियों के समग्र विकास एवं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ–साथ आर्थिक विकास हेतु कार्य किया

जायेगा। **आदिम जनजातियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिरसा आवास निर्माण योजना के प्रावधान का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् आदिम जनजाति के सभी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भी प्रावधान प्रस्तावित है।**

70. **अध्यक्ष महोदय,** कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन झारखण्ड **राज्य के सभी जिलों में Pan IIT Alumini Reach for India Foundation के माध्यम से कुल 25 गुरुकुल की स्थापना किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के अल्पशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया जायेगा।**

**अनुसूचित जनजातियों के लिए कला एवं सांस्कृतिक केन्द्र, मांझी, परगना, पराहा, मानकी मुण्डा एवं धुमकुड़िया हाउस के निर्माण का प्रस्ताव है।**

71. **अध्यक्ष महोदय,** अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को मेरिट–कम–मिन्स (प्री–मैट्रिक) एवं पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा सीधे छात्र–छात्राओं के खाते में हस्तांतरित की जाती है।

72. **अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समुदाय को हज यात्रा के लिए आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हज हाउस के निर्माण का प्रस्ताव है।**

73. **कब्रिस्तानों की घेराबंदी एवं आदिवासियों के धार्मिक स्थल यथा; सरना, मसना, हड़गढ़ी एवं जाहेरस्थान की घेराबंदी हेतु प्रावधान का प्रस्ताव है।**

74. **अध्यक्ष महोदय,** कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन झारखण्ड जनजातीय विकास सोसाईटी के माध्यम से जे॰टी॰ई॰एल॰पी॰ (झारखण्ड जनजातीय सशक्तिकरण अजीविका कार्यक्रम) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत 14 टी॰एस॰पी॰ जिलों के 138 प्रखण्डों के 164 पंचायत एवं 1,330 ग्रामों में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

75. **अध्यक्ष महोदय,** वर्ष 2016–17 में समाज कल्याण प्रक्षेत्र में प्रस्तावित योजनाएँ निम्नवत् है :–

- राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना में कतिपय बाध्यताओं के कारण सभी लाभुकों को इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः **राज्य सरकार द्वारा राज्य की 40 वर्ष से उपर की सभी विधवाओं को पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत ''राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना'' प्रारंभ किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत प्रति लाभुक प्रति महीने रुपये 600/– की दर से पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रथम वर्ष में एक लाख अतिरिक्त विधवाओं को इससे आच्छादित किया जा सकेगा।**
- **राज्य के एड्स पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा इनके लिए HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों**

**हेतु राज्य पेंशन योजना प्रारंभ किए जाने की योजना है। इसके अंतर्गत लाभुको को 600/– रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा।**

- **निःशक्त (दिव्यांग) कल्याणार्थ योजना के अंतर्गत राँची जिले में एक विशेष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सह–विशिष्ट निःशक्त (दिव्यांग) केन्द्र खोलने की योजना है।**
- **सरकारी मूकबधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय को उत्क्रमित कर +2 स्तर तक करने की योजना है।**
- आंगनबाड़ी केन्द्रों को अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से इन केन्द्रों में ग्रोथ चार्ट, Digital Weighing Machine (डिजीटल वेईंग मशीन) तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु राज्य योजनान्तर्गत **''आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण''** नाम से नई योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।
- **किशोर न्याय बोर्ड में बाल बंदियों के उपस्थापन एवं सुनवाई के निमित्त सभी किशोर न्याय बोर्ड एवं प्रतिप्रेषण गृहों में VC की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है।**

76. **अध्यक्ष महोदय, ह्यूमन ट्रैफकिंग (Human Trafficking) राज्य के लिए न केवल एक अभिशाप है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं जन सहयोग से अभियान को और व्यापक किया जायेगा। देवघर में नारी निकेतन एवं ट्रैफीकिंग से मुक्त कराए गए बच्चों के लिए Open Shelter का निर्माण कराये जाने की योजना है।**

77. कुपोषण राज्य सरकार की एक चुनौती है। राज्य में पोषण मिशन का गठन किया जा चुका है एवं कुपोषण दूर करने हेतु व्यापक अभियान चलाया जायेगा।

- इसके अतिरिक्त दुमका, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, सरायकेला एवं पलामू में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराये जाने की योजना है।
- साहेबगंज एवं जामताड़ा में वृद्धाश्रम का निर्माण कराये जाने की योजना है।

## उद्योग, कौशल विकास तथा श्रमिक कल्याण एवं श्रम सुधार

78. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों एवं अयस्कों की प्रचुरता है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में ही इन पर आधारित उद्योगों की स्थापना हो ताकि राज्य को इन प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम् लाभ मिल सके तथा स्थानीय लोगों को राज्य के अन्दर ही रोजगार मिले। यह राज्य में मानव संसाधनों के पलायन को प्रभावी तरीके से रोक सकेगा। इस दिशा में हमारी सरकार ने सिंगल विन्डो सिस्टम के साथ–साथ राज्य के औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली लागू की है। आशा है कि इसके सुखद परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

79. **अध्यक्ष महोदय,** यह तो निर्विवाद रूप से हम सभी को पता है कि उद्योग–धंधे लगेंगे तो रोजगार पैदा होंगे। रोजगार की उपलब्धता व्यक्ति के जीवन–स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता दोनों ही को सुधारती है। वैयक्तिक स्तर पर ऐसा होने से समष्टि स्तर पर तो अंततः राज्य की गुणवत्ता और विश्वसनीयता कायम होती है।

80. सरकार सतत् प्रयत्नशील है कि राज्य में उद्योग–धंधों का माहौल बेहतर–से–बेहतर हो। **मेक–इन–इंडिया, मेक–इन–झारखण्ड की तर्ज पर हमारी सरकार कार्य कर रही है।** उद्योग–व्यापार प्रारम्भ करने में कम–से–कम समय लगे, इस पर कार्रवाई चल रही है। एतदर्थ सरकारी स्तर से अपेक्षित अनुमति के आयाम और निहित अवधि को लघु से लघुत्तर करने के तौर–तरीके बनाये जा रहे हैं। राज्य में नई औद्यागिक पूँजी निवेश प्रोत्साहन नीति आगामी 1 अप्रैल, 2016 से लागू कर दी जाएगी।

81. **अध्यक्ष महोदय**, सरकार द्वारा श्रम, भूमि तथा वाणिज्य–कर के क्षेत्र में किये गये सुधार तथा प्रयास का ही नतीजा है कि **विश्व बैंक के प्रतिवेदन में व्यवसाय करने की आसानी (Ease of Doing Business) के संदर्भ में इस राज्य को देश के समस्त प्रदेशों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।**

82. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार के द्वारा राज्य में बेहतर निवेश एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रम कानूनों एवं व्यवसायों के सरलीकरण की दिशा में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार के द्वारा व्यवसायियों के हित में स्वअभिप्रमाणन योजना लायी गई है। इन कार्यों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। मैं सभी व्यवसायी बन्धुओं से अनुरोध करता हूँ कि वे सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं स्वअभिप्रमाणन योजना का अधिकाधिक लाभ लें। आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में सरकार इस दिशा में और निश्चय एवं पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का निश्चय रखती है। वर्तमान में कारखानों की अनुज्ञप्ति पाँच वर्ष तक प्रभावी रहती है। इसे संशोधित कर दस वर्ष किया जायेगा। विभाग के

द्वारा निर्गत होने वाले सभी अनुज्ञप्ति तथा निबंधन ऑनलाई किये जायेंगे। श्रम कानूनों में संशोधन कर श्रमिकों को बैंक खाता के माध्यम से वेतन भुगतान का प्रावधान किया जायेगा।

83. **अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री के स्टार्ट अप इंडिया के कार्यक्रम को राज्य में संचालित करने के लिए राज्य के महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थानों में इनक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना की जाएगी, ताकि उद्यमियों को उद्यम प्रारम्भ करने में त्वरित सहायता दी जा सके।**

84. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के युवाओं में रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता सूची में है। रोजगार सृजन हेतु कौशल विकास एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अतः राज्य में कौशल विकास के लिये **झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी** के द्वारा 'राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क' और आम मापदण्डों पर आधारित योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में लगभग 50,000 युवाओं को चिह्नित ट्रेड में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ने की सम्भावना है।

85. झारखण्ड राज्य में वर्त्तमान में संचालित कुल 27 सरकारी एवं 203 गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से क्रमशः 7,000 एवं 24,500 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है एवं राज्य में नवनिर्मित 49 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग जगत की मांग के अनुरूप नए व्यवसाय शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है इसके लिए राज्य में स्थित उद्योग समूह के प्रतिनिधियों के सहभागिता से व्यवसायों का चयन किया जायेगा। इन संस्थानों को CSR के अंतर्गत अथवा सरकार स्तर से संचालित करने की कार्रवाई की

जा रही है। इसके उपरांत वर्णित सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कुल सीटों की संख्या 7,000 से बढ़कर 17,000 हो जायेगी।

86. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सामान्य), राँची को केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोकारो को राज्य योजनान्तर्गत मॉडल आई॰टी॰आई॰ के रूप में उन्नयन करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवघर को पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मॉडल आई॰टी॰आई॰ के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

## आधारभूत संरचना

87. **अध्यक्ष महोदय,** अंकनीय है कि आधारभूत सुविधाओं के विकास से ही राज्य को विकसित किया जा सकता है। राज्य में सड़कों का निर्माण तथा ऊर्जा ये दो ऐसे प्रक्षेत्र हैं, जिनके विस्तार से ही राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुँचाया जा सकता है। राज्य गठन के बाद से ही इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम नज़र आ रहे हैं।

88. **अध्यक्ष महोदय,** वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में पथ निर्माण का बजटीय उद्व्यय रुपये 3,200 करोड़ स्वीकृत किया गया है। इससे इस वर्ष लगभग 1,100 कि॰मी॰ पथ एवं 30 पुल कार्य सम्पन्न किए जाने का लक्ष्य है। विभाग द्वारा जनवरी, 2016 तक लगभग 900 कि॰मी॰ पथों को पूर्ण किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण के लिए योजना मद में 4,000 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है।

89. वर्ष 2015–16 में अब तक लगभग रुपये 4,133 करोड़ की लागत से 1,727 कि॰मी॰ पथ एवं 44 पुल के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है।

**इसमें निम्न महत्वपूर्ण कॉरीडोर सम्मिलित हैं :–**

- खूँटी–तोरपा–कोलेबीरा पथ, दुमका–मसलिया–कुण्डहित नाला पथ, रंगामाटी–टीकर–हजाम–बंता–सिल्ली पथ, देवघर–मोहनपुर घाट–मधुपुर पथ, गढ़वा–शाहपुर पथ, घाघरा–नेतहाट पथ, छतरपुर–जपला पथ, कुजू–घाटो पथ, चाईबासा–कोकचो–भरभरिया पथ, मिर्जाचौकी–सिमरा–बोआरीजोर पथ, कोचेडेगा–रामरेखाधाम– छत्तीसगढ़ सीमा पथ, चतरा–चौपारण पथ, मोहम्मद गंज–जपला–डंगवार पथ, आसनबी–पटमदा पथ इत्यादि।
    - एशियन विकास बैंक के ऋण से Jharkhand State Road Project अन्तर्गत नौ पथ बाईपास सहित (चाईबासा, खूँटी, लोहरदगा, गिरिडीह, गोड्डा एवं पाकुड़) (कुल लम्बाई 355.08 कि॰मी॰) के उन्नयन पुनरुद्धार, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु रुपये 2,036 करोड़ की स्वीकृति की गई है। प्रथम चरण में लगभग 177 कि॰मी॰ का कार्य शुरू किये जाने का लक्ष्य है।

**प्रथम चरण में कार्यान्वित होने वाले निम्न पथ है :–**

- दुमका–हंसडीहा पथ (44.2 कि॰मी॰)
- गिरिडीह–जमुआ–चतरो–सरवन पथ (45.2 कि॰मी॰)
- गिरिडीह–टुण्डी–गिरिडीह पथ (43.5 कि॰मी॰)
- खूँटी–तमाड़ पथ (43.7 कि॰मी॰)
    - राज्य में लोक–निजी भागीदारी पर भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। राँची रिंग रोड सेक्शन–VII का कार्य प्रारंभ है। राँची–बोकारो एवं धनबाद

एवं जमशेदपुर को जोड़ने हेतु गोल्डन ट्रैंगल (Golden Triangle) एक्सप्रेस वे (Expressway) के निर्माण भी प्रस्तावित हैं। डी॰पी॰आर॰ तैयार किया जा रहा है। साथ ही पतरातू से राजगंज पथ (हीरक पथ) का विकास एवं हाटगमहरिया–नोवामुण्डी– बरायबुरू पथ का उन्नयन एवं रख–रखाव कार्य (Upgradation एवं Operation & Maintenance के कार्य) को भी लोक–निजी भागीदारी पर किये जाने का प्रस्ताव है।

- राजधानी राँची में पथ यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से
  - राँची शहर के महत्वपूर्ण पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ मजबूतीकरण कार्य की गई है एवं कराई जा रही है यथा; मेसरा–पिठोरिया पथ, हुरहुरी से ठाकुरगांव पथ, लालगंज–टाटीसिल्वे पथ, खेलगांव सम्पर्क पथ, अरगोड़ा चौक से कडरू पथ, एलबर्ट एक्का चौक से करमटोली पथ इत्यादि।
  - राँची शहर के अन्य पथों यथा; बिरसा चौक–तुपूदाना पथ एवं नामकोम–डोरण्डा पथ के 4–लेनिंग का कार्य किया गया है।
  - राँची शहर के विकास (रिंग रोड पर)–बूटी मोड़– कांटाटोली–रामपुर (रिंग रोड तक) के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।
  - विधानसभा से नयासराय (राँची रिंग रोड तक) पथ के चार लेन के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।
- हजारीबाग, धनबाद, डाल्टेनगंज, दुमका एवं देवघर शहर एवं इसे जोड़ने वाले पथों का निर्माण पूर्ण कराया गया है यथा; ईचाक मोड़ से बरकट्टा पथ, डुमरा–बेरमो पथ, भूली–तेतुलमारी पथ, विश्रामपुर–उटारी पथ, रानीबहल–महेशखाला पथ, पत्ताबाड़ी–मसानजोर पथ, असना से दुबिया

पथ, बैजनाथपुर–कोरियाना पथ, सांरवा–घोरमारा पथ, सत्संगनगर–भिरखीबाद पथ इत्यादि।

- राज्य के पर्यटन स्थलों के सुगम सम्पर्क हेतु पथ निर्माण का कार्य स्वीकृत कर निर्माण कार्य किया गया है एवं कराया जा रहा है।
- विभाग द्वारा सुदृढ़ पथ नेटवर्क हेतु पथ कॉरिडोर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण भी किया जा रहा है जिसमें निम्न पथ सम्मिलित है :–
  - गढ़वा–शाहपुर पथ
  - घाघरा–नेतहाट पथ
  - छतरपुर–जपला पथ
  - कुजू–घाटो पथ
  - चाईबासा–कोकचो–भरभरिया पथ
  - मिर्जाचौकी–सिमरा–बोआरीजोर पथ
  - कोचेडेगा–रामरेखाधाम–छत्तीसगढ़ सीमा पथ
  - चतरा–चौपारण पथ
  - मोहम्मद गंज–जपला–डंगवार पथ
  - खूँटी–तोरपा–कोलेबिरा पथ
  - आसनबी–पटमदा पथ
- अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में अन्तर्राज्यीय महत्व, पर्यटन के महत्व, औद्योगिक विकास के महत्व अन्तर्जिला एवं जिले के महत्वपूर्ण पथों के विकास का लक्ष्य है। माननीय सदस्यगणों एवं जनहित के सभी क्षेत्रों से आए ठोस एवं रचनात्मक सुझावों का सम्मिलित कर पथों के विकास का

कार्यक्रम है। लगभग 1,000 कि॰मी॰ पथों एवं 25 वृहद् पुल योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष स्वीकृत कर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

- अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में बड़ी नदियों यथा; दामोदर, सोन, तिलैया, गुंगानाला, अजय, कोयल इत्यादि नदियों पर वृहद् पुल के निर्माण का भी कार्यक्रम है।
- Left Wing Extremism अन्तर्गत आगे के चरणों में कार्यान्वयन हेतु 148 पथ एवं पुलों के विकास हेतु लगभग 3,725 करोड़ की योजनाएँ भारत सरकार के गृह मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है। इससे लगभग 1,690 कि॰मी॰ पथों एवं 58 पुलों का विकास हो सकेगा। यह भारत सरकार के विचाराधीन है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथों (SH, MDR एवं ODR) का घनत्व राष्ट्रीय औसत (182.40 कि॰मी॰/1,000 वर्ग कि॰मी॰) से लगभग आधे से कम (86.27 कि॰मी॰/1,000 वर्ग कि॰मी॰) था। विभाग द्वारा इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2016–17) तक लगभग 3,300 कि॰मी॰ पथों को पथ निर्माण विभाग में सम्मिलित कर पथ के घनत्व को लगभग 130 कि॰मी॰/1,000 वर्ग कि॰मी॰ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 14–15 तक लगभग 1,960 कि॰मी॰ पथों के साथ यह घनत्व 110.85 कि॰मी॰/1,000 वर्ग कि॰मी॰ है। वर्ष 15–16 में दिसम्बर, 2015 तक लगभग 711 कि॰मी॰ पथों की वृद्धि कर इस घनत्व को बढ़ाकर 119.77 कि॰मी॰/1,000 वर्ग कि॰मी॰ किया गया है।

- राज्य सरकार के प्रयास से 410 कि॰मी॰ राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण हेतु रुपये 6,500 करोड़ की परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है जो निम्न हैं:–
  - 72 कि॰मी॰ NH-33 (महुलिया–बहरागोड़ा) का चार लेन
  - 78 कि॰मी॰ NH-23 (चास–रामगढ़ ) का 4/2 लेन
  - 41 कि॰मी॰ NH-33 (बरही–हजारीबाग) का चार लेन
  - 152 कि॰मी॰ NH-33 (बरकट्ठा–चोरदाहा) का 6 लेन
  - 37 कि॰मी॰ NH-133 (चौपा मोड़–हंसडीहा)
  - 28 कि॰मी॰ NH-114A (गिरिडीह–देवघर पथ)
- राज्य सरकार द्वारा 128 कि॰मी॰ के 5 पथ कोरिडोर के विकास हेतु योजनाओं के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को समर्पित किया गया है जो निम्न हैं :–
  - 34 कि॰मी॰ NH-75 (राँची–बीजूपाड़ा) चार लेन परियोजना
  - 21 कि॰मी॰ NH-75 (बीजूपाड़ा–कुडू) चार लेन परियोजना
  - 23 कि॰मी॰ NH-23 (राँची–पलमा) चार लेन परियोजना
  - 50 कि॰मी॰ NH-343 (गढ़वा–छत्तीसगढ़ सीमा)
- राज्य में 2,600 कि॰मी॰ राष्ट्रीय उच्च पथ है जिसे दुगना कर 5,200 कि॰मी॰ राष्ट्रीय उच्च पथ में परिवर्त्तित करना है। राज्य सरकार के प्रयास से 1,428 कि॰मी॰ पथों को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित किया जा चुका है। शेष लगभग 1,170 कि॰मी॰ रा॰उ॰प॰ में समपरिवर्त्तित करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।

- राज्य सरकार के प्रयास से भारत सरकार द्वारा साहेबगंज में गंगा नदी पर रुपये 2,200 करोड़ की लागत से चार लेन के पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
- राज्य सरकार द्वारा 1,160 कि॰मी॰ रा॰उ॰ पथों का डी॰पी॰आर॰ तैयार कराया जा रहा है। साथ ही नवघोषित 1,428 कि॰मी॰ रा॰उ॰ पथों के निर्माण कार्य का भी डी॰पी॰आर॰ तैयार कराया जा रहा है।

90. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य की ग्रामीण आबादी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों के साथ एवं एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी सरकार की एक प्राथमिकता है। राज्य में ग्रामीण सड़कों का निर्माण राज्य निधि से तथा केन्द्रीय योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोनों स्त्रोतों से कराया जा रहा है।

## ग्रामीण सड़क

91. **अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अंतर्गत

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में 2,000 कि॰मी॰ ग्रामीण पथ निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। उनके निर्माण से 250 + आबादी वाले 700 बसावटें एवं 500 + आबादी वाले 200 बसावटों कुल 900 बसावटों को जोड़ने का प्रस्ताव है।
- पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में 4,500 कि॰मी॰ पथ की नई स्वीकृति प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से 2,266 बसावट पक्की सड़क से जुड़ जायेंगे।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में लगभग 125 लंबे पुल (Long Span) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- इस वित्तीय वर्ष में 1,240 कि॰मी॰ पथ का निर्माण कर 800 बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2015 तक 806 कि॰मी॰ पथ निर्माण कर 587 बसावटों को जोड़ा जा चुका है।
- गावों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु ग्रामीण पथ की 450 योजनाएँ जिनकी लंबाई 1,800 कि॰मी॰ है, को पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी 200 कि॰मी॰ सड़क निर्माण करने का लक्ष्य है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 में ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु रुपये 1,635 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है जिसमें 1,500 कि॰मी॰ पथ पूर्ण करने का लक्ष्य है जिसमें दिसम्बर 2015 तक 332 योजनाएँ जिनकी लंबाई 1273 कि॰मी॰ है को रुपये 602.6 करोड़ व्यय कर पूर्ण किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में रुपये 250 करोड़ व्यय कर 100 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2016–17 में 81 पुलों का प्रस्ताव है।
- इन सभी पुलों के निर्माण से राज्य के दूरवर्त्ती क्षेत्र, जो नदियों के प्रवाह से आवागमन की समुचित सुविधा से वंचित हैं, इन क्षेत्रों में आवागमन सुचारू रूप से चालू किया जा सकेगा। फलस्वरूप क्षेत्र के लोगों के Socio-economic स्थिति में काफी विकास होगा।

- इस वर्ष 120 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य था, जिसके विरूद्ध 107 अदद् पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

## परिवहन

92. **अध्यक्ष महोदय,** वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य की जनता को सड़क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमने दो नए कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं।

- राज्य की राजधानी से महत्वपूर्ण नगरों, यथा; जमशेद्पुर, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद एवं पलामू के बीच द्रुत नन–स्टॉप वातानुकूलित बस सेवा का परिचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। **आगामी वित्तीय वर्ष में यह सेवा सभी जिला मुख्यालयों तक पहुँचाये जाने का लक्ष्य है।**
- ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सुलभ सड़क परिवहन के लिए ग्रामीण बस सेवा भी अगले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ कर दी जाएगी। इसके लिए 364 ग्रामीण मार्गों को चिन्हित करके इन रूटों के लिए परमिट निर्गत करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। **ग्रामीण बस सेवा अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ हो जाएगी।**

93. महोदय, महिलाओं के प्रति सरकार अपनी जवाबदेही जानती है और उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की **2,000 महिलाओं को तीन पहिया/चार पहिया हल्का मोटरयान का प्रशिक्षण देकर, उन्हें बैंक ऋण के माध्यम से वाहन भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी,** ताकि वे स्वावलम्बी हो सकें।

# ऊर्जा

94. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देते हुए यह तय किया है कि समयबद्ध तरीका से पूरे राज्य में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण, शत-प्रतिशत घरों (Households) का विद्युतीकरण तथा 24 x 7 अबाधित और गुणवत्तायुक्त बिजली राज्य की जनता को उपलब्ध कराना है। इसके लिए राज्य के प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर भविष्य में झारखण्ड को ऊर्जा के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि झारखण्ड राज्य को देश का पावर हब के रूप में विकसित करना है।

95. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2015–16 के दरम्यान प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों को बरकरार रखने और नयी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ऊर्जा विभाग के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में पर्याप्त राशि का प्रावधान कर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण, शहरों की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, संचरण ग्रिड सब–स्टेशनों एवं हाई वोल्टेज लाईनों का निर्माण, वितरण प्रणाली के वार्षिक विकास कार्यक्रम के तहत् शक्ति उपकेन्द्र, पावर एवं वितरण ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन, 33/11 के॰वी॰ लाईन का विस्तार और सौर ऊर्जा के पावर प्लांट तथा रूफ टॉप पर विशेष बल दिया गया है।

96. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के अभिभाषण में आगामी 1,000 दिनों में देश के बचे हुए 18,500 अविद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित लक्ष्य को झारखण्ड राज्य द्वारा समय पर पूरा करने हेतु मिशन के रूप में स्वीकार कर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। **इस अवधारणा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा शेष बचे 2,525 अविद्युतीकृत गाँवों को दिसम्बर, 2016 तक विद्युतीकृत करने का**

**निर्णय लिया गया है।** प्रथम चरण में 1,247 गाँवों को मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें जनवरी, 2016 तक 605 गाँवों का विद्युतीकरण हो गया और शेष 642 गाँव मार्च, 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। द्वितीय चरण में शेष 1,278 गाँवों का विद्युतीकरण दिसम्बर, 2016 तक करने का लक्ष्य है।

97. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में बिजली उत्पादन की क्षमता को अधिकतम स्तर पर विकसित करने एवं राज्य में निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराने की दिशा में **पिछले वर्ष मई, 2015 को राज्य सरकार द्वारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित कर पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान का परफॉरमेन्स सुधार एवं 4,000 मेगावाट तक कार्यक्षमता के विस्तारीकरण योजना का अनुमोदन दिया था। इसी क्रम में जुलाई, 2015 में ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेन्ट के हस्ताक्षर के पश्चात् अक्टूबर, 2015 में ज्वाइंट वेंचर कम्पनी, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) की स्थापना की गई।** राज्य सरकार द्वारा इस बीच पतरातू **ट्राँसफर स्कीम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। मार्च, 2017 में इस प्रस्तावित कार्य हेतु अनुमोदित पूर्ववर्त्ती शर्तों को** पूर्ण कर **पतरातू संयंत्र की चिह्नित भूमि ज्वाइंट वेंचर कम्पनी को हस्तांतरित करने की योजना है ताकि पतरातू संयंत्र का ऑपरेशन ज्वाइंट वेंचर कम्पनी द्वारा तुरन्त प्रारंभ किया जा सके।** साथ ही, राज्य को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड में उपलब्ध जल, जमीन एवं अन्य संसाधनों का उपयोग करते हुए 2 x 660 मेगावाट के अतिरिक्त पावर प्लांट को स्थापित किए जाने के**

**प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जा रही है।** भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 4,000 मेगावाट यू॰एम॰पी॰पी॰ तिलैया को मार्च, 2017 में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पुनर्निविदा कर नये डेवलपर का चुनाव करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। **यू॰एम॰पी॰पी॰ देवघर के लिए भी जमीन अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लीयरेंस एवं अन्य क्लीयरेंस प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।**

98. **अध्यक्ष महोदय,** भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत् ग्रामीण एवं शहरी फीडरों को अलग करते हुए बचे हुए सभी अविद्युतीकृत गाँवों एवं टोलों में बिजली उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार ने झारखण्ड राज्य के लिए इस योजना के तहत् रुपये 3,696 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।**

99. **अध्यक्ष महोदय,** अटल ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के सुदूरवर्त्ती एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल 50 ग्रामों में 1,500 ए॰पी॰एल॰ और छूटे हुए बी॰पी॰एल॰ जनों को निःशुल्क विद्युत संबंध देने की कार्रवाई की जा रही है।

100. **अध्यक्ष महोदय,** किसानों के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में तिलका माँझी कृषि पम्प योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सुदूर कृषि प्रधान 50 ग्रामों में 1,250 लघु एवं सीमान्त कृषकों को पम्प के संचालन हेतु निःशुल्क विद्युत संबंध देने की कार्रवाई की जा रही है।

101. **अध्यक्ष महोदय,** भारत सरकार ने झारखण्ड राज्य के 40 वैधानिक शहरों में IPDS (समेकित ऊर्जा विकास योजना) के तहत् रुपये 731.73 करोड़ योजना की स्वीकृति प्रदान की है।

102. R-APDRP Part-A योजना में 30 शहरों के विरुद्ध 21 शहरों को Go-Live घोषित किया जा चुका है। R-APDRP Part-B योजना के तहत् 30 शहरों की विद्युत वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है।

103. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित **"24 x 7 Power For All"** के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में 54 अदद् ग्रिड सब–स्टेशन तथा 88 संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण करने की कार्य योजना तैयार किया गया है।

104. **अध्यक्ष महोदय,** Ease of Doing Business के अन्तर्गत Online New Connection, Online Complaint एवं Online Bill Payment की सुविधा दी जा रही है। Online सेवा को और बेहतर करने हेतु Mobile App तैयार किया जा रहा है।

105. उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु पोस्ट ऑफिस, प्रज्ञा केन्द्र, APT KIOSK एवं विभागीय काउन्टर पर विपत्र भुगतान की सुविधा दी जा रही है।

106. राज्य के तीन शहरों राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर में SCADA System का अधिष्ठापन किया जाना है ताकि विद्युत वितरण व्यवस्था की Online Monitoring की जा सके।

107. **Domestic Efficient Lighting Programme के तहत् भारत सरकार, Energy Efficiency Services Limited के द्वारा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के घरेलू उपभोक्तओं को 10 अद्द LED बल्ब सस्ती**

**दर पर उपलब्ध करा रही है। प्रथम चरण में शहर के 7,80,000 उपभोक्तओं के बीच में वितरण हो रहा है तथा दूसरे चरण में 1 अप्रैल, 2016 से 16,50,000 ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच बल्ब का वितरण किया जाना है।**

108. **अध्यक्ष महोदय,** ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी Distribution Company के Financial Turn Around हेतु Uday (Ujjwal Discom Assurance Yojana) लायी गयी है, जिसके तहत् JBVNL ने दिनांक 05.01.2016 को ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के साथ MOU हस्ताक्षरित किया है। इस योजना के तहत् JBVNL के 75 प्रतिशत देनदारी (DEBT) एवं CPSU के 100 प्रतिशत बकाये को भारत सरकार द्वारा UDAY योजना के अन्तर्गत विशेष रियायतों के तहत् राज्य सरकार के द्वारा Take Over किया जा रहा है, जिससे JBVNL को अपने कार्य क्षमता बढ़ाते हुए वर्ष 2018–19 तक AT&C Loss 15 प्रतिशत तथा Average Revenue Realisation (ARR) एवं Average Cost of Supply (ACS) के अन्तर को शून्य करने का लक्ष्य है।

109. **अध्यक्ष महोदय,** बिजली संचरण व्यवस्था के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु झारखण्ड में एक महत्वकांक्षी राज्य योजना रुपये 1,454 करोड़ की लागत से पावरग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित की जा रही है, जिसके तहत 10 ग्रिड सब–स्टेशन एवं 857 कि॰मी॰ की 19 संचरण लाईनों का निर्माण किया जा रहा है।

110. पावरग्रिड द्वारा संचालित संचरण योजनाओं में से 220/132 के॰वी॰ मदनपुर (दुमका) ग्रिड एवं संबंधित 220 के॰वी॰ दुमका–रूपनारायण संचरण लाईन का

निर्माण पूर्ण कर दिनांक 23.07.2015 को झारखण्ड की जनता को समर्पित किया गया, जिसके उपरान्त संथाल परगना को 150–200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगी है। पावरग्रिड द्वारा संचालित संचरण योजनाओं में से 220/132/33 के॰वी॰ चाईबासा ग्रिड एवं संबंधित 220 के॰वी॰ चाईबासा–चाईबासा संचरण लाईन का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है तथा दिसम्बर, 2015 को ग्रिड ऊर्जान्वित कर दिया गया। पावरग्रिड द्वारा संचालित संचरण योजनाओं में से 132/33 के॰वी॰ मधुपुर ग्रिड एवं संबंधित 132 के॰वी॰ मधुपुर–जामताड़ा संचरण लाईन का निर्माण कार्य भी पूर्ण किया गया एवं 10 फरवरी, 2016 को राज्य की जनता को समर्पित किया गया।

कार्यरत ग्रिड सब–स्टेशन यथा; देवघर, जामताड़ा, काँके, राजखरसावाँ, कामडारा एवं जादूगोड़ा में एक–एक अदद् अतिरिक्त 50 एम॰भी॰ए॰ पावर ट्राँसफॉर्मर अधिष्ठापित किया गया है, जिससे कि उस क्षेत्र में बिजली आपूर्त्ति में अपेक्षित सुधार हुआ है।

विद्युत क्षमता के विस्तारीकरण हेतु 10 अदद् 50 एम॰भी॰ए॰ पावर ट्राँसफॉर्मर ग्रिड सब–स्टेशन गढ़वा, जपला, ललमटिया, दुमका तथा आदित्यपुर में अधिष्ठापित किया जा रहा है।

111. **अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दरम्यान राज्य योजना के तहत् 220/132/33 KV जैनामोड़ (बोकारो) एवं जसीडीह ग्रिड सब–स्टेशन और 132/33 KV खूँटी एवं सरिया (गिरिडीह) सब–स्टेशन तथा संबंधित संचरण लाईनों का निर्माण कार्य शामिल किये गये हैं। साथ ही 220/132 KV गढ़वा ग्रिड सब–स्टेशन, चतरा में अतिरिक्त**

**132/33 KV ग्रिड सब–स्टेशन और सम्बन्धित संचरण लाईनों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारम्भ किया जायेगा।**

112. **अध्यक्ष महोदय,** आगामी वित्तीय वर्ष **2016–17 में सोलर ऊर्जा के माध्यम से निम्नवत् लोकोन्मुखी योजनाओं का कार्यान्यवन किया जाना प्रस्तावित है :–**

- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के डी॰डी॰जी॰ स्कीम के अन्तर्गत **409 अविद्युतीकृत ग्रामों को सोलर पावर/बायोमास पावर के माइक्रो ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण कार्य के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा दिसम्बर, 2016 तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।**
- **ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट योजना के तहत् राज्य के सरकारी भवनों में लगभग 10 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन।**
- राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर Net Metering Regulation के तहत् कुल **50 मेगावाट क्षमता ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट अधिष्ठापन करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।**
- राज्य के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को उनके भवन की छतों पर Net Metering Regulation के तहत् **लगभग 15 मेगावाट क्षमता ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट अधिष्ठापन करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।**

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई उपयोग हेतु भारत सरकार से **1,000 अदद् सोलर वाटर पम्प की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन 90 प्रतिशत अनुदानित दर पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराया जाएगा।**
- विगत् वर्ष की भांति, वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी झारखण्ड राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में अध्ययन कर रही कक्षा 6–12 तक की सभी छात्राओं एवं कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययन कर रहे कक्षा 6–10 तक के सभी छात्रों के बीच, अध्ययन करने हेतु 3,20,000 nos. LED आधारित सोलर स्टडी लैम्प निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
- **राज्य में ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर 20,000 अदद् सोलर लालटेन 1,000 अदद् सोलर पावर पैक उपलब्ध कराया जाएगा।**
- राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के तहत् 2–6 घनमीटर क्षमता के लगभग 850 घनमीटर (लगभग 200 अदद्) बायोगैस संयंत्र निर्माण करने में रुपये 5,000/– प्रति घनमीटर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य के सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में **5,000 अदद् सोलर स्ट्रीट लाईट अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।**
- ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा सरकारी एवं सार्वजनिक परिसरों में एल॰ई॰डी॰ मास्ट लाईट का अधिष्ठापन किया जाएगा।

- राज्य स्तरीय अपारम्परिक ऊर्जा प्रदर्शन पार्क की स्थापना की जाएगी जिसमें 01 मेगवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट एवं अन्य अपारम्परिक ऊर्जा के प्रदर्श स्थापित किये जाऐंगे।
- राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भरता, चौमुखी विकास एवं विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कृत संकल्प है।

## पेयजल एवं स्वच्छता

113. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2015–16 में पाईप जलापूर्ति योजना से आच्छादन, जो वर्त्तमान में 22.86 प्रतिशत है, को बढ़ाकर 25 से 30 प्रतिशत किया जाएगा। शेष बचे 19 प्रखण्ड मुख्यालय में पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जाएगा। पलामू, खूँटी, चतरा, सिमडेगा, गोड्डा, जामताड़ा, गढ़वा एवं पाकुड़ जिले, जिसमें पाईप जलापूर्ति से आच्छादन 10 प्रतिशत से कम है, प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में पाईप जलापूर्ति से आच्छादित किया जाएगा।

114. **अध्यक्ष महोदय,** सभी विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्रों में एक पाईप जलापूर्ति योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 में ली जाएगी। सभी जिला के अधिकतम SC/ST आबादी वाले पंचायतों में कम से कम एक पाईप जलापूर्ति योजना भी आगामी वित्तीय वर्ष में ली जाएगी।

115. **अध्यक्ष महोदय,** आदिम जनजातीय टोलों में सौर ऊर्जा/बिजली चालित पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण भी आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने का प्रस्ताव है।

116. **अध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष कम से कम एक जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाएगा। साथ ही, 75 प्रखण्डों की 700 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त किए जाने का प्रस्ताव है एवं 50 प्रतिशत स्वच्छता आच्छादन प्राप्त किए जाने का अनुमान है।**

117. **अध्यक्ष महोदय, नमामि गंगे परियोजना अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित पाँच गाँवों के साथ–साथ कुल 78 गाँवों में UNDP द्वारा शेष कार्य एवं ठोस तरल कचरा प्रबंधन का कार्य कराया जाएगा।**

## जलवायु परिवर्तन

118. पर्यावरण एवं पारिस्थितकी को बनाए रखने हेतु जल स्रोतों का प्राकृतिक स्वरूप बनाए रखने की आवश्यकता है। कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के विकास में पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। सिंचाई परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलू पर भी बारीक नजर रखने की जरूरत है। इस पृष्ठभूमि में राज्य की वृहद् सिंचाई परियोजना स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना से स्वर्णरेखा नदी से सिंचाई संवर्द्धन को बल तो मिलता है, **आवश्यक यह है कि स्वर्णरेखा नदी को संरक्षित करते हुए उसे प्राकृतिक सौंदर्य में प्रवहमान होने दिया जाए। इस लिहाज से स्वर्णरेखा के प्राकृतिक सौंदर्य तथा इसके परिरक्षण के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय तथा जनसहयोग से एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा।**

119. **अध्यक्ष महोदय,** झारखण्ड राज्य में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल 23,605 वर्ग कि॰मी॰ है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.61 प्रतिशत है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण,

देहरादून के इंडिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2015 तक (22,531 से 23,478 वर्ग कि॰मी॰) 947 वर्ग कि॰मी॰ (4.2 प्रतिशत) वनाच्छादन (Forest Cover) में वृद्धि हुई है।

120. **अध्यक्ष महोदय,** केन्दू पत्ती को छोड़कर शेष सभी लघु वन उपज को बिहार वन उपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम, 1984 की अनुसूची से हटा दिया गया है। लघु वन उपज संग्रहक अब लघु वन उपज के संग्रहण एवं बिक्री हेतु स्वतंत्र हैं।

121. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण की योजना है जिससे किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ–साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव भी कम होगा। इन उद्देश्यो की पूर्ती हेतु राज्य में **''मुख्यमंत्री जन वन योजना''** की शुरूआत की गई है। यह निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे तथा फलदार प्रजाति के 160 पौधों का रोपण किया जा सकेगा। मेड़ पर काष्ठ प्रजाति के 445 पौधे लगाने पर इसे एक एकड़ के समतुल्य माना जायेगा। इस योजना के तहत् एक लाभुक के लिये वृक्षारोपण की न्यूनतम सीमा एक एकड़ एवं अधिकतम सीमा 50 एकड़ होगी।

122. प्रोत्साहन–स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रख–रखाव पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्त्ति विभाग द्वारा की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत रोपित किये गये पौधों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत कृषकों द्वारा लगाये गये वृक्षों के पातन एवं परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा–पत्र सुगमता से निर्गत किया जाएगा।

123. **जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई का गठन –** प्राकृतिक, मशीनी एवं अन्य मानवजनित प्रक्रियाओं से अत्यधिक उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साईड, मिथेन आदि गैसों के कारण पृथ्वी की जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन हुए हैं, जो ऋतु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्री जल–स्तर में बढ़ोतरी, फसल चक्र में बदलाव आदि के रुप में आज हमारे सामने है। इनसे बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, पलायन आदि जैसी आपदायें बढ़ेंगी।

124. मानवता को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने की दिशा में राज्य के दायित्व के आलोक में राज्य की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (पंचवर्षीय) तैयार की गयी है, जिसमें प्रासंगिक सेक्टर्स, यथा; कृषि, वानिकी, स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा, खनन, उद्योग, शहरी विकास एवं परिवहन सेक्टर्स शामिल किये गये है। उक्त बहु–विभागीय योजना के समन्वित कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में जलवायु परिवर्तन कार्य इकाई का गठन किया जायेगा, जो विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित सेक्टरों में राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के कार्यान्वय में समन्वयन एवं अनुश्रवण के अतिरिक्त राज्य में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर कार्रवाई करेगी। उक्त इकाई वानिकी सेक्टर के लिये विहित कार्यों का संचालन एवं अनुश्रवण भी करेगी।

125. **अध्यक्ष महोदय, ईको टूरिज्म** योजना के अंतर्गत जन साधारण में प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न करने, विशेष कर उन्हें वन्य प्राणियों एवं संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों तथा इनके बाहर उपयुक्त वन क्षेत्रों में Environment Friendly, Sustainable तरीके से ईको–टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जाना है। सरकार द्वारा झारखण्ड इको–टुरिज्म पोलिसी अधिसूचित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के फॉसिल

पार्क, (साहेबगंज), त्रिकुट पर्वत, (देवघर), पारसनाथ, (गिरिडीह), तिलैया डैम, कैनहरी हिल, (हजारीबाग), पलामू व्याघ्र योजना, मेदिनीनगर, नेतरहाट, दलमा गज आरक्ष्य, (जमशेदपुर) में कार्य प्रारम्भ किया गया है।

126. इको–टूरिज्म के अंतर्गत मूलभूत संरचनाएँ यथा; सड़क, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, पर्यटकों के ठहरने हेतु विश्रामागार, टेन्ट हाउस, ट्री हाउस एवं मनोरंजन हेतु साधन उपलब्ध कराये जायेंगे एवं इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु वन पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा। क्षमता वर्द्धन (Capacity Building) के अंतर्गत स्थानीय गांवों में इको–विकास समिति/ग्राम विकास समिति का गठन कर स्थानीय युवाओं को इको–टूरिज्म विषय पर प्रशिक्षण देकर नेचर गाईड के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा। यह योजना ग्रामीण रोजगारोंन्मुखी है, जिससे ग्रामीणों को निश्चित रुप से लाभ मिलेगा।

127. **सहभागीय वन प्रबंधन** वनों के प्रबंधन में ग्रामीणों की सहभागीता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है तथा वनों के बेहतर प्रबंधन एवं संवर्द्धन हेतु उत्कृष्ट ग्राम वन प्रबंधन समितियों को प्रमंडल एवं रीजन स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली समितियों को प्रोत्साहन स्वरुप परिसम्पतियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

128. **अध्यक्ष महोदय,** ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी हेतु **''लघु वन पदार्थों का उन्नयन''** योजना के अन्तर्गत लाह एवं तसर के उत्पादन हेतु पोषक वृक्षों का वनरोपण तथा लाह की वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों को 3125 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से लाह पोषक वृक्षों की

कटाई–छँटाई, बीहन लाह टूल–किट्स, कौशल विकास पर व्यय के रुप में आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे 31,250 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

## नगरीय संरचना में अभिवृद्धि

129. **अध्यक्ष महोदय,** स्वच्छ भारत मिशन के तहत 36 नगरीय निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परियोजनायें तैयार की जा रही है। राँची नगर निगम में अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ किया जा सकेगा।

130. **एच॰ई॰सी॰ क्षेत्र के 341 एकड़ जमीन पर राँची स्मार्ट सिटी अधिष्ठापित करने की राज्य सरकार की योजना है।**

131. **अमृत योजना के तहत् सात शहरों के लिए वार्षिक कार्यकारी योजना तैयार कर भारत सरकार को भेजा गया है, जो भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।**

132. **प्रधानमंत्री आवास योजना सभी नगर निकायों में की जानी है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में 14 शहरी निकायों में 16,416 आवासीय इकाई की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावे धनबाद, राँची एवं चास में 3,931 आवासों पर कार्य कराए जा रहे हैं।**

133. **कौशल विकास एवं प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर का सर्वेक्षण, परिचय पत्र एवं वेंडिंग–जोन विकसित किए जाने हेतु प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है।**

134. शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण योजना के तहत् योग्य लाभान्वितों के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है।

135. **अध्यक्ष महोदय, राज्य में झारखण्ड शहरी विकास निधि नामक एक कोष का गठन किया गया है, जिससे नगर निकायों में वृहद् तथा जनोपयोगी योजना एवं आधारभूत संरचना के क्रियान्वयन के लिए तत्काल राशि उपलब्ध कराई जा सके तथा निर्धारित समय समाप्त होने पर नगर निकाय उक्त राशि को राजकोष में जमा कर सकेंगे।**

## सूचना प्रौद्योगिकी

136. **अध्यक्ष महोदय,** माननीय प्रधानमंत्री जी के **डिजीटल इंडिया अभियान में झारखण्ड भी डिजीटल होकर अपनी भागीदारी निभाये एवं डिजीटल विश्व का लाभ उठाये, इसके लिए सरकार ''डिजीटल झारखण्ड'' बनाने हेतु प्रयासरत है।** जन समुदाय को सभी देय सरकारी सेवाओं में **'सूचना प्रौद्योगिकी'** के अधिकतम प्रयोग से इन सेवाओं की उपलब्धता की सुलभता अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी हो गई है।

137. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2015–16 की उपलब्धियों से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। राज्य में ई–डिस्ट्रीक्ट सेवा राष्ट्रीय ई–शासन योजना NeGP के अन्तर्गत क्रियान्वित की गई है, जो बुनियादी प्रशासनिक इकाई को समर्थन करता है।

138. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रत्येक **प्रखण्ड मुख्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि राज्य मुख्यालय से प्रखण्ड मुख्यालय आसानी से जुड़े रहे।**

139. यह G2C सेवाओं के समग्र विकास में सहायता प्रदान करती है। यह तीन बुनियादी स्तंभों SWAN, CSC & SDC के लाभ से आम सेवा केन्द्र (प्रज्ञा केन्द्र) के माध्यम से नागरिकों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए बैक एंड कम्प्यूटरीकृत सेवा प्रदान करती है। इस परियोजना के तहत् झारखंड राज्य में राँची जिला को पॉयलट के तौर पर चयन किया गया था। राँची जिला में इसके सफल क्रियान्वयन के पश्चात् राज्य के सभी 23 अन्य जिलों में इसे लागू किया गया है। इसके तहत् अबतक 30 सेवाओं तथा सेवा की गारण्टी का अधिकार अधिनियम के तहत् कुल 54 सेवाओं को ऑनलाईन किया जा चुका है।

140. राज्य में NIELIT एवं C-DAC द्वारा SC/ST/OBC/Women अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर क्षेत्र में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह राज्य के युवाओं में आधारभूत कम्प्यूटर ज्ञान, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, फोटोग्राफी इत्यादि क्षेत्रों में कौशल विकास करने के साथ–साथ रोजगार सृजित करने के अवसर प्रदान करेगा।

141. झारखण्ड के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 782 BTS बी.एस.एन.एल. के सहयोग से लगाए जा रहे हैं। इसमें 309 इसी साल कार्यरत हुए हैं तथा मार्च, 2016 तक सभी कार्य करने लगेंगे।

142. झारखण्ड राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से PPP Mode में IIIT की स्थापना की जा रही है। दिनांक 12.12.2015 को त्रिपक्षीय एकरारनामा भारत सरकार,

झारखंड सरकार एवं इंडस्ट्री पार्टनर के मध्य किया गया है। अगले सत्र 2016–17 से दो संकाय इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजिनियरिंग एवं कम्प्यूटर साइंस इंजिनियरिंग में 30–30 छात्रों के बैच की पढ़ाई मेंटर कैम्पस, एन॰आई॰टी॰,जमशेदपुर में आरम्भ होगी।

143. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क** की स्थापना जमशेदपुर, बोकारो, देवघर एवं धनबाद में की जा रही है।

144. अभी तक झारनेट नेटवर्क से सभी जिला मुख्यालयों, 37 अनुमंडल एवं 214 प्रखण्डों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करायी गई है। झारनेट के नेटवर्क पर विभिन्न विभागों यथा कोषागार निबंधन इत्यादि को ऑनलाईन किया जाता है। पूरे राज्य में प्रखण्ड स्तर तक के विभिन्न कार्यालयों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिसकी ऑनलाईन माध्यम से सुगमता एवं तीव्र गति से आँकड़ों एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है जिससे सरकारी कार्य प्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी।

145. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तावित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है।

**सरकारी विभागों का कम्प्यूटरीकरण :–**

- **कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (WAMIS) –** राज्य सरकार ने इस प्रणाली को सर्वप्रथम पाँच विभागों यथा; ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता, पथ निर्माण तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में लागू करने का निर्णय लिया है।

- राज्य में विभिन्न प्रकार के निविदाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु **ई–प्रोक्योरमेंट** अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इससे पूरी निविदा प्रक्रिया में समय की काफी बचत होगी।
- **ई–मुलाकात** एक ऐसी प्रणाली है जिसके प्रयोग से यातायात में लागत, ईंधन व्यय, शुल्क इत्यादि के अपव्यय को कम किया जा सकता है। इससे कारागार के कैदियों को सुनवाई हेतु सशरीर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। **वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।**
- राज्य में विभिन्न विभागों/कार्यालयों को पेपर लेस बनाने के उद्देश्य से **ई–ऑफिस** योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। पायलट के तौर पर सर्वप्रथम इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में लागू किया जाना है, तत्पश्चात् इसे सचिवालय स्तर के अन्य विभागों/कार्यालयों तथा जिला में लागू किया जाना है।
- मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत् ईज ऑफ डूविंग बिजनेस के क्षेत्र में झारखण्ड में आई॰टी॰/आई॰टी॰ई॰एस॰ इनवेस्टमेंट प्रोमोशन को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने, स्ट्रेटजी एण्ड एक्शन प्लान बनाने, डिमांड एसेसमेन्ट, तथा रोड शो एण्ड मार्केटिंग इत्यादि के कार्य किये जा रहे हैं।
- हम विकास के साथ उसके ऋणात्मक आयामों पर भी पूरी तत्परता से ध्यान दे रहे हैं। अभी हाल ही में **''साईबर सेक्युरिटी''** से संबंधित पूर्वी भारत की प्रथम कार्यशाला हमारे प्रदेश में 5 अक्टूबर, 2015 को आयोजित की गई, जिससे साईबर सेक्युरिटी के क्षेत्र में भी नए आसार दिखने लगे

हैं। साईबर सेक्युरिटी से संबंधित क्षेत्र में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

- राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजो/प्रबंधन संस्थानों एवं अन्य महाविद्यालयों में कुल 5 (पाँच) Incubation Centers की स्थापना की जायेगी। साथ ही, राँची में एक Innovation Center भी अधिष्ठापित किया जायेगा। इस तरह कुशल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सकता है।
- यह झारखण्ड सरकार द्वारा **स्टार्टअप वेनचॅर कैपिटल फण्ड** संपोषित परियोजना है। इस परियोजना के तहत् युवाओं को कंपनी स्थापित करने एवं उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार वैसे युवा जो कुशल होने के साथ–साथ नये विचारों के साथ नये फर्म स्थापित करना चाहते हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। यह एक तरीके की निवेश– परियोजना है, जिसमें भविष्य में फर्म के सफल होने के पश्चात् उनकी कुल उपलब्धि में राज्य सरकार का भी हिस्सा होगा। इस प्रकार राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी।
- **राँची शहर को वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।**
- झारखण्ड के लोगों में सूचना प्रौद्योगिकी के साधन एवं संसाधन से संबंधित जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ मिलकर संपूर्ण झारखण्ड में सूचना प्रौद्योगिकी प्रतिभा खोज (ऑल झारखण्ड आई॰टी॰ टैलेंट सर्च) का आयोजन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत् किया जाता है। **उड़ान 2016 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य**

**स्कूली छात्रों में छिपी आई॰टी॰ प्रतिभा को सामने लाना है।** इसके लिए वर्ष 2017 में उड़ान के 100 (एक सौ) विजेताओं को मेधा पुरस्कार/छात्रवृत्ति दी जायेगी।

- झारखण्ड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को विशेष प्रशिक्षण एवं कोचिंग डिजिटल लाईव समार्ट क्लासेस परियोजना के तहत् दी जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि झारखण्ड के विभिन्न सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों के गरीब एवं शिक्षा से वंचित छात्रों को एक ही समय में टेली एजुकेशन द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण मुहैया कराया जाना है। इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ यथा; NeGP के अधीन स्टेट डाटा सेन्टर तथा SSDG की योजना जैप–आई॰टी॰ द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

## भवन निर्माण

146. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु भवन निर्माण विभाग को 460 करोड़ रुपये के बजट उपबंध प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्यतः योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है:–

- राँची स्थित कोर कैपिटल एरिया में नये सचिवालय भवन का निर्माण कार्य।
- राँची में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेन्टर का निर्माण कार्य।
- राँची में रविन्द्र भवन का निर्माण कार्य।
- राँची स्थित कोर कैपिटल एरिया में विधान सभा के नये भवन का निर्माण कार्य (चालू योजना)।

- राँची में झारखंड उच्च न्यायालय के नये भवन का निर्माण कार्य (चालू योजना)।
- सभी सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना।
- सभी सरकारी भवनों में सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना कार्य।
- नई दिल्ली में नये झारखंड भवन का निर्माण कार्य।
- उप राजधानी दुमका में आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य।

147. झारखण्ड के विभिन्न जिलों में परिसदन भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार/सुसज्जीकरण कार्य (चालू एवं नई योजना) तथा धनबाद, गिरिडीह, सरायकेला, पलामू, साहेबगंज एवं बोकारों में न्याय सदन का निर्माण कार्य।

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

148. **अध्यक्ष महोदय,** प्रत्येक जिला में भूमि बैंक की स्थापना की गई है एवं विभागीय बेवसाईट पर अद्यतन उपलब्ध भूमि की विवरणी तथा नोडल पदाधिकारी के नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर को अपलोड किया गया है।

149. अनुसूचित जनजातियों की जमीन के अवैध हस्तांतरण एवं सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण की उच्च स्तरीय जाँच एवं भविष्य में इसे रोकने हेतु सुझाव देने के लिए विशेष जाँच दल (Special Investigation Team) का गठन किया गया है।

150. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु नियमावली, 2015 का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत पाँच हजार हेक्टर भू–अर्जन मामलों के लिए

अपने क्षेत्रान्तर्गत उपायुक्तों को एवं पाँच हजार हेक्टर से अधिक भू–अर्जन मामलों के लिए राज्य सरकार को समुचित सरकार घोषित किया गया है।

151. भूमि मुआवजा से संबंधित प्राक्कलन स्वीकृति हेतु उपायुक्त को 25 करोड़ एवं प्रमंडलीय आयुक्त को 25 करोड़ से 50 करोड़ रूपये तक के लिए शक्ति प्रदान की गई है।

**वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तावित योजना है :–**

- सभी अंचलों में ऑनलाईन म्यूटेशन की व्यवस्था करना।
- भू–अभिलेखों का डिजिटाईजेशन।
- भू–नक्शों का डिजिटाईजेशन।
- निबंधन, म्यूटेशन एवं लगान रसीद की ऑनलाईन व्यवस्था के लिए निबंधन एवं राजस्व कार्यालयों का इंटीग्रेशन।
- राँची में Map Printing Press की स्थापना।
- 50 अंचल कार्यालयों एवं 02 निबंधन कार्यालयों का जीर्णोद्धार तथा 50 नये तहसील कार्यालय–सह–हल्का कर्मचारी आवासों का निर्माण।

152. राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु उपायुक्तों, अपर समाहर्त्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों, बंदोबस्त पदाधिकारियों, जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं एवं अंचल अधिकारियों के लिए 134 नये वाहनों का क्रय।

## खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

153. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अधीन योजना लागू कर दी गई है। इसके अन्तर्गत पात्र

गृहस्थ योजना में वर्तमान में 46 लाख लाभुकों को शामिल किया गया है, शेष लाभुकों को शामिल किया जाना प्रक्रियाधीन है। 46 लाख पात्र गृहस्थ के लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल/गेहूँ एवं 9,17,900 अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

154. अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के शेष परिवारों को भी श्वेत राशन कार्ड उपलब्ध कराने की योजना है। इन परिवारों को भी किरासन तेल वितरित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 में किरासन तेल वितरण में लिकेज रोकने के लिए छः जिलों चतरा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, खूँटी, हजारीबाग एवं पश्चिमी सिंहभूम में डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरण का प्रस्ताव है।

155. राज्य के सभी पात्र गृहस्थ परिवारों एवं अन्त्योदय परिवारों को वर्तमान में प्रति परिवार एक किलाग्राम फ्री–फ्लो आयोडीनयुक्त नमक 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रति लाभुक परिवार को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से डबल फोर्टिफाईड आयोडीनयुक्त नमक, जो आयरन एवं आयोडीनयुक्त होगा, का वितरण प्रस्तावित है।

156. मुख्यमंत्री दाल–भात योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में चालू केन्द्रों के अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में राँची, धनबाद में दो–दो एवं हजारीबाग, जमशेदपुर एवं पलामू में एक–एक कुल सात रात्रि दाल–भात केन्द्रों की स्थापना की गई है। साथ ही राँची, हजारीबाग, धनबाद, पलामू, देवघर जिला मुख्यालय

में एक–एक एवं जमशेदपुर जिला मुख्यालय में दो आदर्श दाल–भात केन्द्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में मोबाईल किचन संचालन की योजना का प्रस्ताव है।

157. वित्तीय वर्ष 2015–16 में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों में डिजिटल वेईंग मशीन उपलब्ध करायी गई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में सभी पी॰डी॰एस॰ दुकानों को भी डिजिटल वेईंग मशीन उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है।

158. जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए जारी एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया के साथ ही वित्तीय वर्ष 2016–17 में धान अधिप्राप्ति योजना की प्रक्रिया को भी कम्प्यूटरीकृत किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त माप–तौल इकाई के कार्यों का भी कम्प्यूटरीकरण प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में खाद्यान्नों के परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों में जी॰पी॰एस॰ ट्रेकिंग की व्यवस्था भी की जायेगी।

159. वित्तीय वर्ष 2016–17 में किसी आवश्यक उपभोक्ता सामग्री में अनापेक्षित मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए रूपये 20/– करोड़ का एक मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

160. उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने एवं उनके हितों की सुरक्षा के लिए रूपये 10/– करोड़ के कंज्यूमर वेलफेयर फण्ड की स्थापना की जायेगी।

161. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित परिवारों को अनुदानित दर पर प्रति परिवार एक किलोग्राम चना/चना दाल का वितरण प्रस्तावित है।

## राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा पर्यटन विकास

162. **अध्यक्ष महोदय,** कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य का उद्देष्य एक तरफ जहाँ खेल एवं युवा कार्यो को प्रोत्साहित करने का है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की सांस्कृतिक विधाओं को संरक्षित एवं विकसित करना भी है। इस प्रकार मूलभूत रूप से राज्य के युवा वर्ग की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जीवन को ऊर्जान्वित करने की है।

163. राज्य के 24 जिलों में जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों की नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है, जल्द ही नियुक्ति कर ली जाएगी। खेल प्रतिभाओं को निखारने हेतु खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों के सम्मान राशि में वृद्धि की गई है। यथा ओलम्पिक खेल स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी को दो करोड़, रजत पदक प्राप्त खिलाड़ी को एक करोड़ तथा कॉस्य पदक प्राप्त खिलाड़ी को पचहत्तर लाख देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावे अन्य अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों के सम्मान राशि में भी भारी वृद्धि की गई है।

164. झारखण्ड खेल नीति, 2015 प्रारूप अंतिम चरण में है। अंतिम रूप देने हेतु प्रबुद्धजनों, खेल संघों तथा प्रतिभावन खिलाड़ियों से सुझाव मांगे गये है।

165. मालुटी में पहली बार भादो महोत्सव का आयोजन किया गया है तथा मालुटी के मंदिर समूहों का जीर्णोद्धार का कार्य शुरू कर दिया गया है। व्यापक पैमाने पर सरायकेला में छऊ महोत्सव का आयोजन किया गया।

166. **अध्यक्ष महोदय,** पर्यटन के प्रचार–प्रसार के तहत् देश एवं विदेश में झारखण्ड पर्यटन का प्रचार–प्रसार किया जाना है साथ ही राज्य में विभिन्न स्थानों पर पर्यटन मेला (राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय) का आयोजन किया जाना है।

167. प्रशिक्षण एवं कौशल का विकास के अन्तर्गत पर्यटन एवं अतिथ्य से संबंधित क्षेत्र जैसे – Food Production, House Keeping Utility, Food & Beverage Service आदि में Certificate Course कराया जाना है।

168. कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण योजना के तहत् विभाग के विभिन्न कार्यालयों, टूरिस्ट कम्प्लेक्सों, पर्यटक सूचना केन्द्रों आदि में कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना है। कुछ चयनित पर्यटक स्थलों पर Pilot Project के तर्ज पर WiFi सुविधा भी उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तावित है।

169. पर्यटक सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण के तहत् चल रहे दिल्ली तथा कोलकाता में स्थित पर्यटक सूचना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण के साथ देश के अन्य महानगरों में पर्यटक सूचना केन्द्र झारक्राफ्ट के समन्वय से स्थापित किये जाने की योजना प्रस्तावित है।

170. होटल प्रबंधन संस्थान, फुड क्राफ्ट संस्थान, झारखण्ड साहसिक पर्यटन संस्थान, बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकिनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार तथा अन्य प्राधिकार के लिए सहायक अनुदान – इस योजना के अंतर्गत होटल प्रबंधन संस्थान, फुड क्राफ्ट संस्थान, तथा झारखण्ड साहसिक पर्यटन संस्थान आदि की स्थापना एवं संचालन के लिए सहायक अनुदान दिया जाना है। साथ ही बाबा बैद्यनाथ

बासुकिनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं विभाग द्वारा गठित अन्य प्राधिकार के संचालन के लिए सहायक अनुदान दिया जाना है।

171. पर्यटन सुविधाओं के लिए प्रबंधन, साफ–सफाई, रख–रखाव तथा प्रचार आदि के लिए झारखण्ड पर्यटन विकास निगम को वित्तीय सहायता हेतु JTDC द्वारा कतिपय पर्यटक स्थलों के लिए पर्यटक बस आदि परिवहन सुविधा क्रय के लिए एवं राज्य के गरीब परिवार को देश के महत्वपूर्ण पर्यटन/धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए झारखण्ड पर्यटन विकास निगम को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

172. पर्यटन स्थलों, टूरिस्ट सर्किट आदि का समेकित विकास योजना के तहत विभिन्न टूरिस्ट सर्किट तथा गंतव्यों का विकास, धार्मिक तथा अध्यात्मिक पर्यटन का विकास, हेरिटेज टूरिस्म का विकास, ग्रामीण पर्यटन का विकास, खनन पर्यटन का विकास आदि कार्य किया जाना है।

173. राज्य पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन योजना के तहत् पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को आकर्षित करने हेतु झारखण्ड पर्यटन नीति, 2015 के अनुसार प्रोत्साहन दिये जाने का प्रस्ताव है।

## विधि व्यवस्था

174. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में सामान्य जनजीवन तथा विकास योजनाओं के लिए बेहतर विधि व्यवस्था एक प्राथमिक आवश्यकता है। प्रभावी विधि व्यवस्था से शासन के प्रति जन आस्था बढ़ती है। विधि व्यवस्था का क्रियान्वयन मुख्यतः

पुलिस प्रशासन पर आधारित है। पुलिस प्रशासन के लिए राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों की उपलब्धता यद्यपि एक चुनौती है, तथापि बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की कार्रवाई चल रही है। विभिन्न पदों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किया गया है।

175. **अध्यक्ष महोदय,** पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु पहले चरण में राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद के 44 शहरी थानों को स्मार्ट थाना के रूप में परिवर्त्तित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पुलिस की छवि पीपुल्स फ्रेन्डली बनाने में सहायता मिलगी।

176. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में 71 नए स्मार्ट थानों का निर्माण वर्ष 2016–17 में कराने का प्रस्ताव है।

177. **अध्यक्ष महोदय,** वित्तीय वर्ष 2016–17 में Safe City परियोजना के अंतर्गत राँची में C.C.T.V. सर्विलान्स प्रणाली पूर्ण रूप से लागू कर दी जाएगी, जिसमें सुरक्षा के साथ–साथ यातायात व्यवस्था भी शामिल है।

178. **अध्यक्ष महोदय,** पूरे राज्य में पुलिसीय सहायता की तत्काल प्राप्ति के लिए एकीकृत डायल 100 प्रणाली लागू करने की योजना है।

179. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में अपराध की रोक-थाम एवं विधि व्यवस्था के लिए 313 पी॰सी॰आर॰ एवं हाईवे पेट्रोल वाहन उपलब्ध कराने की योजना है।

## सूचना एवं जन सम्पर्क

180. **अध्यक्ष महोदय,** मीडिया लोक तंत्र का चौथा खम्भा है। राज्य के पत्रकारों/मीडिया कर्मियों के कल्याणार्थ प्रेस क्लब का निर्माण कार्य राँची में प्रारम्भ हो गया है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 में पूर्ण हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में धनबाद एवं देवघर में प्रेस क्लब का निर्माण किया जाएगा।

181. स्थानीय फिल्मकारों को प्रोत्साहित करने एवं पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म नीति का गठन किया गया है, जिसका सीधा लाभ स्थानीय कलाकारों को मिलेगा तथा राज्य में फिलम उद्योग की स्थापना भी सार्थक होगी।

182. सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य के पत्रकारों के लिए **''स्वास्थ्य बीमा योजना''** प्रारम्भ की जा रही है।

183. सरकार के द्वारा जन संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है एवं सरकारी नीतियों को आम लोगों तक उपलब्ध कराया जा रहा है।

## प्रशासनिक कार्य प्रणाली को जनोन्मुखी बनाने, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं वित्तीय प्रबंधन में सुधार

184. **अध्यक्ष महोदय,** जैसा कि मैं पूर्व में उल्लेख कर चुका हूँ, चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर

42 प्रतिशत हो गई है। इससे हमारा राज्य लाभान्वित हुआ है, तथापि हमें आंतरिक संसाधनों में वृद्धि तथा अनावश्यक व्यय में कटौती करने की आवश्यकता है।

185. **अध्यक्ष महोदय,** मैं राज्य की जनता पर कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं देता हूँ, किन्तु कर प्रणाली की प्रक्रिया को और सरल बनाकर तथा कर अपवंचना को रोक कर राज्य के आंतरिक राजस्व में वृद्धि का प्रस्ताव है।

186. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के आंतरिक कर का मुख्य स्रोत वाणिज्य–कर है।

187. अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (निरसित) एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के वर्ष 2005–06 तक के मामलों के समाधान हेतु कर–समाधान योजना, 2015 को वर्ष 2016–17 हेतु विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

188. निबंधन प्रक्रिया के सरलीकरण के क्रम में झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य के भीतर बिक्री की स्थिति में निबंधन हेतु प्रतिभूति की राशि एक लाख रुपये से घटाकर शून्य कर दी गई है, जबकि आयातक/ विनिर्माता व्यवसायियों के मामले में प्रतिभूति की राशि दो लाख से घटाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

189. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत स्वकर निर्धारण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वकर निर्धारण से संबंधित समय अवधि को 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 मार्च किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे छोटे व्यवसायियों को सहूलियत होगी।

190. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–18 में इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा धारा–63 में लेखा अंकेक्षण के सकल आवर्त्त को 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किए जाने के आलोक में तत्संबंधी झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के सुसंगत नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। लेखा पुस्त के अंकेक्षण हेतु सकल बिक्री आवर्त्त की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किए जाने से लगभग 15,000 छोटे व्यवसायियों को लेखा अंकेक्षण की अनिवार्यता से राहत मिलेगी।

191. **अध्यक्ष महोदय,** इसी प्रकार उत्पाद राजस्व में भी दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु ऑनलाईन व्यवस्था करने तथा होलोग्राम जैसे प्रभावकारी कदम उठा कर राजस्व में अभिवृद्धि की जाएगी।

192. **अध्यक्ष महोदय,** गैर कर राजस्व में खनन एक मुख्य स्रोत हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में खदानों की नीलामी प्रक्रिया को सरल करने, परमिट की व्यवस्था को ऑनलाईन करने एवं बंद खदानों को शीघ्र चालू करने का हमारा प्रयास रहेगा।

193. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य सरकार के विभागों का पुनर्गठन कर विभागों की संख्या 30 की गई है एवं प्रशासनिक प्रणाली को हर स्तर पर सरल किया जा रहा है, ताकि परिणामोमुख (Result Oriented) किया जा सके। इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलने प्रारम्भ हो गए है।

194. **अध्यक्ष महोदय,** सरकार जहाँ एक ओर आंतरिक राजस्व में वृद्धि हेतु प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर अनुत्पादक खर्चों में कटौती के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

इस हेतु योजना–सह–वित्त विभाग में **व्यय प्रबंधन कोषांग** का गठन किया जाएगा।

195. **अध्यक्ष महोदय,** इसके साथ ही राज्य में वित्तीय प्रबंधन में और सुधार लाने के लिए इंटिग्रेटेड फाईनेन्शियल मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी।

196. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन सरकारी स्तर पर तो किया जाता ही है, परन्तु एक नई पहल के रूप में इनका Third Party Audit कराने का भी प्रस्ताव है, ताकि योजनाओं के Impact की बेहतर जानकारी सरकार को मिल सके। इस प्रणाली से लोकधन के व्यय की पारदर्शिता उत्तरदायी रूप से सुनिश्चित हो सकेगी।

197. भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु राज्य सरकार द्वारा Anti Corruption Bureau (ACB) का गठन किया जा चुका है।

198. जिला स्तर पर उपायुक्तों के पास जिला योजना अनाबद्ध निधि में भी 240 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है।

199. मुख्यमंत्री डैश बोर्ड (CM Dashboard) के तहत् सभी विभागों/जिलों/प्रखण्डों की परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण कर सकेंगे। इससे राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा आसानी से हो सकेगी।

200. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य में वित्तीय प्रबंधन को मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाने की कार्रवाई के रूप में **नई कोषागार संहिता (ट्रेजरी कोड) अप्रैल, 2016 से लागू करने का प्रस्ताव है।** अंकनीय है कि कोषागारों का संचालन पूर्णतया ऑन–लाईन हो चुका है। राज्य में ई–रिसिप्ट एवं ई–भुगतान को पूर्णरूपेण लागू किया जा रहा है। राज्य में इस कार्य के लिए साईबर ट्रेजरी की व्यवस्था की गई है। इस तरह समेकित वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है।

201. **अध्यक्ष महोदय,** राज्य के उपर बढ़ते ऋण दायित्व को पूरा करने और विकास के लिए ऋण की उगाही में विश्वसनीयता कायम करने के दृष्टिकोण से पूर्व के वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के आलोक में **समेकित निक्षेप निधि (Consolidated Sinking Fund)** हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के साथ MoU करके किए जाने का निर्णय राज्य सरकार कर चुकी है। यह एक परिशोधन कोष है, जो भविष्य में बकाया ऋण के भुगतान में प्रयुक्त होगा। साथ ही, राज्य को इसके आधार पर SDF की सुविधा अतिरिक्त ऋण प्राप्ति के लिए भी होगी। इस निधि के गठन से राज्य विकास ऋण के लिए राज्य की रेटिंग उन्नत होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निदेशों के अनुसार वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दायित्वों का 0.5 प्रतिशत न्यनूतम वार्षिक अंशदान इस निधि में करना होगा। इस निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं करेगा। एतदर्थ निधि में अंशदान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है।

202. इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जिलों में कई ऐसी परिसम्पतियाँ है, जिनका किसी कारणवश उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसी परिसम्पतियों का सर्वेक्षण करा कर उन्हें उपयोगी बनाने की कार्रवाई की जाएगी।

203. **अध्यक्ष महोदय,** मुझे सदन को बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि विकास योजना पर व्यय में लगातार वृद्धि के बावजूद राज्य का सकल वित्तीय घाटा FRBM Act (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम) में निर्धारित सीमा के अन्दर रहा है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट के अनुमानित व्यय भी अधिनियम के निर्धारित सीमा के अन्दर रहेंगे।

204. **अध्यक्ष महोदय,** इन शब्दों के साथ मैं गैर–योजना मद में **छब्बीस हजार चार सौ सैंतीस करोड़ चौंतीस लाख रुपये** (26,437.34 करोड़ रुपये) तथा योजना मद में **सैंतीस हजार पैंसठ करोड़ पैंतीस लाख रुपये** (37,065.35 करोड़ रुपये), यानि कुल **तिरेसठ हजार पाँच सौ दो करोड़ उनहत्तर लाख रुपये** (63,502.69 करोड़ रुपये) का बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

**जय झारखण्ड !** **जय भारत !!**